भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

वार्षिक रिपोर्ट

2024-25

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

www.ibbi.gov.in

यह रिपोर्ट भारत के राजपत्र में दिनांक 1 मई, 2018 को प्रकाषित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 में विहित प्रारूप के अनुरूप है।

शासी बोर्ड

(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

अध्यक्ष

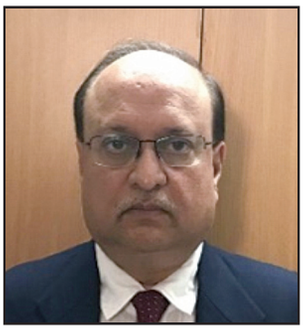

श्री रवि मितल

पूर्णकालिक सदस्य

श्री जयंती प्रसाद

श्री संदीप गर्ग

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा

पदेन सदस्य

डॉ राजीव मणि
सचिव, विधिक कार्य विभाग एवं
विधायी विभाग विधि एवं
न्याय मंत्रालय

श्री वैभव चतुर्वेदी
मुख्य महाप्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक

श्रीमती अनिता शाह अकेला
संयुक्त सचिव
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

श्रीमती रीतू जैन
आर्थिक सलाहकार
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

अंशकालीन सदस्य

श्री एम.पी.राम मोहन
प्रोफेसर,
भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

श्री एल.वी.प्रभाकर
पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
कैनरा बैंक

कार्यकारी निदेशक
(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

नाम	कार्य
श्री सतीश सेठी	आईपी अनुश्रवण प्रभाग
	• शिकायतें • शिकायत निवारण • निरीक्षण • अन्वेषण • निगरानी
	आईटी प्रभाग
	• वेबसाइट संबंधी कार्य का तकनीकी उन्नयन • आईबीसी 21 • वित्त एवं लेखा प्रभाग
	मानव संसाधन एवं स्थापना प्रभाग
श्री जितेश जॉन	कॉर्पोरेट दिवाला, कॉर्पोरेट परिसमापन, डेटा प्रसार, व्यक्तिगत दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रभाग
	सीवीओ/सतर्कता
श्री कुलवंत सिंह	विधि एवं अभियोजन प्रभाग
	• विधिक मामले • न्यायनिर्णयन • अभियोजन • न्यायालय की कार्यवाही • अनुशासन समिति को भेजे गए मामलों के प्रकरण से संबंधित विषय
	आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एकीकृत मंच
	आरटीआई एफएए
श्री रविंदर मैनी	आईपी एवं आईपीई प्रभाग
	आईपीए प्रभाग
	मूल्यांकन एवं आईयू प्रभाग
	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी)
	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक इकाइयां (आरवीई)
	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ)
	सीमित दिवाला एवं मूल्यांकन परीक्षाएँ
	सूचना उपयोगिता (आईयू)
	स्नातकोत्तर दिवाला कार्यक्रम
	अनुसंधान एवं पक्ष समर्थन प्रभाग
	• अनुसंधान एवं प्रकाशन • अनुसंधान मार्गदर्शन समूह (आरजीजी) • पक्ष समर्थन • ज्ञान प्रबंधन • साझेदारियाँ • सतत व्यावसायिक शिक्षा
	बोर्ड सचिवालय प्रभाग
	• बोर्ड बैठकें • कार्यनीति • संचार • संसद • एफएसडीसी से संबंधित मामले • वार्षिक रिपोर्ट • त्रैमासिक समाचार पत्र • अंतर्राष्ट्रीय मामले

आईबीबीआई के अधिकारी

(31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री शिव अनंत शंकर	मुख्य महाप्रबंधक
2.	श्री सी. रामचन्द्र राव	महाप्रबंधक
3.	श्री बी. शंकरनारायणन	महाप्रबंधक
4.	श्री राजेश कुमार	महाप्रबंधक
5.	श्री राजेश तिवारी	महाप्रबंधक
6.	श्री केशव कुमार गिरिधारी	उप महाप्रबंधक
7.	श्री रवि कुमार वशिष्ट	उप महाप्रबंधक
8.	श्री राहुल खन्ना	सहायक महाप्रबंधक
9.	श्री शेषाद्रि सरकार	सहायक महाप्रबंधक
10.	श्री अनिकेत शर्मा	प्रबंधक
11.	श्री प्रतीक जैन	प्रबंधक
12.	श्री राघव माहेश्वरी	प्रबंधक
13.	सुश्री अर्चना शर्मा	प्रबंधक
14.	श्री विनय पांडे*	प्रबंधक
15.	सुश्री पूजा सिंगला	प्रबंधक
16.	श्री असित बेहरा	प्रबंधक
17.	श्री अंशुल अग्रवाल	प्रबंधक
18.	सुश्री मेधा शेखर	प्रबंधक
19.	सुश्री मनप्रीत कौर	प्रबंधक
20.	श्री ओम प्रकाश	प्रबंधक
21.	सुश्री नमिशा सिंह	प्रबंधक
22.	श्री दीप्तांशु सिंह	प्रबंधक
23.	श्री यादविंदर सिंह	प्रबंधक
24.	श्री राममिलन सिंह यादव	प्रबंधक
25.	श्री सरम संतोष	प्रबंधक
26.	श्री विकास चन्द्र विद्यार्थी	सहायक प्रबंधक
27.	श्री अशोक कुमार झा	सहायक प्रबंधक
28.	श्री नीरज कुमार	सहायक प्रबंधक
29.	श्री मुकेश कुमार	सहायक प्रबंधक

*अधिकारी 21 मार्च, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के ईपीएफओ में प्रतिनियुक्ति पर है।

विषयवस्तु

व्यष्टियां		पृष्ठ संख्या
सारणियों की सूची		**IX**
चित्रों की सूची		**IX**
संक्षेपाक्षरों की सूची		**X**
क.	**अध्यक्ष का कथन**	**1**
ख.	**समीक्षाधीन वर्ष**	**3**
	संहिता के अंतर्गत परिणाम	3
	वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान	4
	प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया	5
	व्यक्तिगत प्रक्रियाएँ	5
	दिवाला समाधान प्रक्रिया	**5**
	शोधन अक्षमता प्रक्रिया	6
	प्रमुख नीतिगत विकास	6
ग.	**बोर्ड के कार्य**	**10**
	अर्ध–विधायी कार्य	10
	कार्यकारी कार्य	10
	सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण	10
	आईआरपी को आरपी से प्रतिस्थापन करना	11
	आईपी का पैनल	11
	क्षमता निर्माण	11
	सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई)	11
	सीमित दिवाला परीक्षा	12
	मूल्यांकन परीक्षाएँ	12
	रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार	12
	आईयू के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण	12
	शिकायतें और परिवाद	13
	निरीक्षण और अन्वेषण	13
	अर्ध–न्यायिक कार्य	13
घ.	**बोर्ड का कार्यनिष्पादन**	**15**
ङ.	**शासी बोर्ड का कार्यनिष्पादन**	**19**
	शासी बोर्ड की बैठकें	19
	कार्यनिष्पादन का आकलन	19
	आगामी मार्ग	21

च.	**नीतियाँ, कार्यक्रम और कार्यकलाप**	**22**
	सेवा प्रदाता	22
	परिपत्र	23
	प्रक्रियाएँ	25
	हितधारकों से जुड़ाव	27
	शैक्षणिक जुड़ाव	28
	हितधारकों के लिए सम्मेलन	29
	क्षमता निर्माण	29
	अनुसंधान	31
छ.	**परिणामों का विश्लेषण**	**33**
	उभरती न्यायप्रणाली	33
ज.	**संहिता का प्रभाव**	**36**
झ.	**बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन**	**39**
ड.	**सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन**	**40**
ट.	**संगठनात्मक मामले**	**48**
	उत्तरदायित्व केंद्र	48
	शासी बोर्ड	48
	लेखा परीक्षा समिति	48
	अनुशासनात्मक समिति	48
	आंतरिक शिकायत समिति	49
	मानव संसाधन	49
	अनुसंधान एसोसिएट्स	49
	कर्मचारी	49
	आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2023	50
	इंटर्न्स	50
	प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन	50
	वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप	51
	सूचना का अधिकार और पारदर्शिता	52

सारणियों की सूची

क्र. सं.	सारणियों की सूची	पृष्ठ संख्या
सारणी 1:	सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का सारांश	3
सारणी 2:	समाधान का विवरण वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान	4
सारणी 3:	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार पीपीआईआरपी के चालू मामले	5
सारणी 4:	व्यक्तिगत प्रतिभूतिकर्ताओं का दिवाला समाधान	5
सारणी 5:	2024–25 में नीतिगत और नियामक विकास का कालानुक्रम	6
सारणी 6:	सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण	10
सारणी 7:	31 मार्च, 2025 तक आईआरपी का आरपी से प्रतिस्थापित करना	11
सारणी 8:	2024–25 के दौरान तैयार किए गए आईपी के पैनल	11
सारणी 9:	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे	11
सारणी 10:	2024–25 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश	12
सारणी 11:	एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण	12
सारणी 12:	31 मार्च, 2025 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निस्तारण	13
सारणी 13:	आईबीबीआई द्वारा किए गए आईपी के निरीक्षण एवं अन्वेषण	13
सारणी 14:	आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उसका निस्तारण	14
सारणी 15:	आरवी/आरवीई/आरवीओ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और निस्तारण	14
सारणी 16:	शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति	19
सारणी 17:	2024–25 में शासी बोर्ड का कार्यनिष्पादन	19
सारणी 18:	सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास	22
सारणी 19:	बोर्ड द्वारा 2024–25 में जारी किए गए परिपत्र	23
सारणी 20:	2024–25 के दौरान प्रक्रियाओं से संबंधित विनियामक विकास	25
सारणी 21:	2024–25 में बोर्ड द्वारा आयोजित पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम	27
सारणी 22:	2024–25 में आयोजित निबंध प्रतियोगिताएँ	28
सारणी 23:	2024–25 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ	28
सारणी 24:	मार्च 2025 के अंत तक आईपी के लिए क्षमता निर्माण पहल	29
सारणी 25:	2024–25 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन	31
सारणी 26:	उभरती न्यायप्रणाली का सारांश, 2024–25	33
सारणी 27:	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आय और व्यय विवरण	39
सारणी 28:	सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण	40
सारणी 29:	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड	48
सारणी 30:	बोर्ड द्वारा अनुशासन समिति का गठन	49
सारणी 31:	आईबीबीआई के कर्मचारी	49
सारणी 32:	2024–25 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया	50
सारणी 33:	आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	51
सारणी 34:	आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निस्तारण	52

चित्रों की सूची

चित्र 1 :	आईबीसी के अंतर्गत समाधानों की संख्या	36
चित्र 2 :	परिसमापन आदेशों के समाधान का अनुपात	37

संक्षेपाक्षरों की सूची

एए	न्यायनिर्णायन प्राधिकारी
एसी	सलाहकार समिति
एएफए	कार्य के लिए प्राधिकृत करना
एजीएम	सहायक महाप्रबंधक
एएम	सहायक प्रबंधक
एआर	प्राधिकृत प्रतिनिधि
बैंकनेट	बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड
बोर्ड/आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
बोर्ड विनियम	आईबीबीआई (शासी बोर्ड बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2017
बीएसई	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
बीटी	शोधन अक्षमता न्यासी
सीएजी	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
सीडी	कॉर्पोरेट देनदार
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफआई	भारत की समेकित निधि
सीआईएन	कॉर्पोरेट पहचान संख्या
सीआईआरपी (एस)	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (एँ)
सीआईआरपी विनियम	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016
सीओसी	लेनदारों की समिति
संहिता/आईबीसी	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016
सीजीएम	मुख्य महाप्रबंधक
सीपीई	सतत व्यावसायिक शिक्षा
सीपीआईओ	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
सीपीग्राम्स	केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली
डीसी	अनुशासनात्मक समिति
डीजीएम	उप महाप्रबंधक
डीआरटी	ऋण उगाही अधिकरण
ईडी	प्रवर्तन निदेशालय
ईडी	कार्यकारी निदेशक
ईएमडी	बयाना राशि जमा
ईपीएफओ	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
एफएए	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
एफसीडीओ	विदेश, कॉमनवेल्थ और विकास कार्यालय
एफओआईआर	भारतीय विनियामकों का मंच
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद
एफआईएसपी	वित्तीय सेवा प्रदाता
जीए/पीए	सामान्य सहायक/निजीसहायक
जीबी	शासी बोर्ड
जीएम	महाप्रबंधक
जीएनएलयू	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचसी	उच्च न्यायालय

आईएआईआर	इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंसाल्वेंसी रेग्यूलेटर्स
आईबीए	इंडियन बैंक एसोसिएशन
आईबीसी	दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएआई (लागत)	भारतीय लागत लेखाकार संस्थान
आईसीएआई आरवीओ	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
आईसीसी	आंतरिक शिकायत समिति
आईसीएमएआई आरवीओ	आईसीएसआई दिवाला पेशेवर संस्थान
आईसीएसआई	भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
आईसीएसआई आईआईपी	आईसीएसआई दिवाला व्यावसायिक संस्थान
आईआईएम	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आईआईवी आरवीएफ	आईआईवी भारत रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक प्रतिष्ठान
आईआईआरपी	व्यक्तिगत दिवाला समाधान प्रक्रिया
आईएम	सूचना ज्ञापन
आईएमएफ	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईओवी आरवीएफ	आईओवी रजिस्ट्रीकृतमूल्यांकक प्रतिष्ठान
आईपी (एस)	दिवाला व्यावसायिक (कों)
आईपी विनियम	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016
आईपीए (एस)	दिवाला व्यावसायिक अभिकरण/अभिकरणों
आईपीएएस	इन्सोलवेंसी प्रेक्टिशनर्स ऑफ सिंगापुर लिमिटेड
आईपीए आईसीएआई	आईसीएआई (लागत) दिवाला व्यावसायिक अभिकरण
आईपीई (एस)	दिवाला व्यावसायिक संस्था/संस्थाएँ
आईआरपी	अंतरिम समाधान व्यावसायिक
आईएसबी	इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस
आईयू	सूचना उपयोगिता
आईयू विनियम	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियमन, 2017
आईवीएसबी	अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक बोर्ड
परिसमापन प्रक्रिया विनियम	आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016
एम	प्रबंधक
एमसीए	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
एमडी	प्रबंध निदेशक
आदर्श उपनियम विनियम	आईबीबीआई (दिवाला व्यावसायिक अभिकरणों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) विनियम, 2016
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एनईएसएल	राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
एनसीएईआर	राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद
एनसीएलएटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण
एनसीएलटी	राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
एनएलयू	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
एनपीए	गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
पैन	स्थायी खाता संख्या
पीजी	व्यक्तिगत प्रतिभूतदाता
पीजी के सीडी विनियम (आईआईआरपी)	आईबीबीआई (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019

पीजी के सीडी विनियम (शोधन अक्षमता प्रक्रिया)	विनियम आईबीबीआई (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019
पीपीआईआरपी	प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया
पीएसबी एलायंस	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक गठबंधन
आरए	समाधान आवेदक
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरजीजी	अनुसंधान मार्गदर्शन समूह
आरओडी	व्यतिक्रम का अभिलेख
आरपी	समाधान व्यावसायिक
आरटीआई	सूचना का अधिकार
आरवी (एस)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (कों)
आरवीई	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक एंटिटी
आरवीओ (एस)	रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (नों)
आरवीओ ईएसएमए	आरवीओ संपदा प्रबंधक और मूल्यांकक प्रतिष्ठान
एसबीआई	भारतीय स्टेट बैंक
एससी	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एससीसी	हितधारक परामर्श समिति
सिडबी	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
एसएलपी	विशेष अनुमति याचिका
एसआरए	सफल समाधान आवेदक
सब–एयूए लाइसेंस	उप–प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी लाइसेंस
यूआईडीएआई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यूएनसीआईटीआरएल	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियम	आईबीबीआई (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2017
वीआरआईएन	मूल्यांकन रिपोर्ट पहचान संख्या
डब्लूटीएम	पूर्णकालिक सदस्य

क अध्यक्ष का कथन

1.1 वर्ष 2024–25 ने एक समाधान तंत्र के रूप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (संहिता/आईबीसी) की बढ़ती प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा रिकॉर्ड 259 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी गई, जिससे संहिता के लागू होने के बाद से इसके अंतर्गत कुल समाधानों की संख्या 1,194 हो गई। इन निपटाए गए मामलों से लेनदारों को 3.89 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जो स्वीकृत दावों के सापेक्ष लगभग 32.8% और परिसमापन मूल्य के सापेक्ष 170.1% है। परिसमापन की संख्या के सापेक्ष समाधानों की संख्या का अनुपात भी पिछले वित्त वर्ष के 0.60 से बढ़कर वित्त वर्ष 2024–25 में 0.90 हो गया।

1.2 इस संहिता को व्यापक रूप से देनदारों के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला माना गया है। व्यवहारिक परिवर्तन के कारण, हजारों देनदार शोधन अक्षमता की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही अपने बकाये का निपटान कर रहे हैं। मार्च 2025 तक, सीडी के सीआईआरपी शुरू करने के लिए 30, 745 एप्लीकेशन, जिनमें 13.94 लाख करोड़ रुपये का डिफ़ॉल्ट था, ऐसे मामले एडमिशन से पहले ही सेटल कर दिए गए है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2024–25 में आईबीसी ने 170 कार्पोरेट देनदारों को बचाया है, जिन्हें संहिता की धारा 12ए के माध्यम से 71 मामलों में और हितधारकों द्वारा अपील/समीक्षा/समझौते पर वापस लिए गए 99 मामलों में विभाजित किया गया है।

1.3 संहिता की बढ़ती प्रभावशीलता लंबे समय से निष्क्रिय पड़ी संस्थाओं को पुनर्जीवित करने में इसकी सफलता से रेखांकित होती है। आईबीसी के अधीन समाधानित लगभग 40% मामले पहले बीआईएफआर या निष्क्रिय मामलों के साथ थे। इस तथ्य के बावजूद कि ये मामले बीआईएफआर में लटके हुए थे या अन्यथा निष्क्रिय पड़े थे, आईबीसी ने ऐसे मामलों में लेनदारों के लिए स्वीकार किए गए दावों का लगभग 20% और परिसमापन मूल्य का 152% वसूल किया।

1.4 आईबीबीआई ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की निगरानी हेतु एक सरलीकृत और सुव्यवस्थित प्रपत्र ढाँचा प्रस्तुत करने हेतु व्यापक सुधार किए हैं, जो दिवाला समाधान प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी बनाए रखते हुए दिवाला पेशेवरों (आईपी) पर अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम है। प्रस्तावित संशोधित ढाँचे के अंतर्गत, मौजूदा नौ प्रपत्रों को पाँच प्रपत्रों में समेकित किया जा रहा है। यह समेकन दोहराव को हटाकर, डेटा आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करके, और आईबीबीआई के पोर्टल पर पहले से उपलब्ध सूचनाओं को एक मानकीकृत मासिक रिपोर्टिंग चक्र के साथ स्वचालित रूप से भरने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर प्राप्त किया जाएगा, जो महीने के दौरान कई घटना–आधारित नियत तिथियों की वर्तमान प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा।

1.5 आईबीबीआई ने सीओसी सदस्यों द्वारा अधिक प्रभावी, पारदर्शी, समन्वित और समयबद्ध निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए 6 अगस्त, 2024 को सीओसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के हित में समयबद्ध तरीके से संहिता के अधीन समाधान में मदद करेंगे।

1.6 परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, आईबीबीआई ने भारतीय बैंक संघ के साथ सहयोग किया और बैंकनेट प्लेटफॉर्म (जिसे पहले ई–बिक्रय के रूप में जाना जाता था) पर परिसमापन के अधीन परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक केंद्रीकृत लिस्टिंग और नीलामी मंच प्रदान किया। आईबीबीआई ने अनिवार्य किया है कि सभी परिसमापकों को सभी परिसमापन नीलामियों के लिए विशेष रूप से बैंकनेट प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहिए जहां नीलामी नोटिस 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किए जाते हैं। ये सभी उपाय, वर्ष के दौरान शुरू किए गए कई अन्य उपायों के साथ, संहिता के अधीन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता कर रहे हैं।

1.7 संहिता के अधीन किए गए उपरोक्त कदम सरकार, अदालतों, न्यायाधिकरणों और आईबीबीआई के आदेश पर सक्रिय उपायों, नीतिगत बदलावों और व्यापक हितधारक जुड़ाव के कारण हुए हैं। आईबीबीआई ने वित्त वर्ष 2024–25 में 9 संशोधन विनियम अधिसूचित किए और 14 परिपत्र जारी किए। मैं यह बताना चाहूँगा कि रियल एस्टेट मामलों में निम्नलिखित समस्याओं को सुलझाने के लिए सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किए गए हैं:

(i) शोधन अक्षमता के दौरान घर खरीदारों को अपनी संपत्ति प्राप्त करने में होने वाली लंबी देरी को दूर करने के लिए, सीआईआरपी विनियम संशोधन, आरपी को, सीओसी की मंजूरी के साथ, सीआईआरपी के दौरान ही भूखंडों, अपार्टमेंट या भवनों का कब्ज़ा सौंपने की अनुमति देता है। इससे संकटग्रस्त घर खरीदारों को समय पर डिलीवरी और राहत सुनिश्चित होती है।

(ii) ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) अब नियामक और भूमि विकास संबंधी मामलों पर इनपुट और दृष्टिकोण के लिए नोएडा, हुडा आदि जैसे संबंधित भूमि प्राधिकरणों को अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है ताकि समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता और सम्भाव्यता को बढ़ाया जा सके और समाधान प्रक्रिया में घर खरीदारों और अन्य हितधारकों के बीच विश्वास पैदा किया जा सके।

(iii) आरपी को ऋणदाता निर्णय लेने में मार्गदर्शन के लिए शोधन अक्षमता शुरू होने के 60 दिनों के भीतर रियल एस्टेट परियोजनाओं के विकास अधिकारों, अनुमोदनों और अनुमतियों की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

(iv) समाधान आवेदकों के रूप में घर खरीदारों के संघों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, ऋणदाताओं की समिति को अब पात्रता मानदंड, प्रदर्शन सुरक्षा और जमा आवश्यकताओं में ढील देने का अधिकार दिया गया है।

1.8 वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान, आईबीबीआई ने नियामक प्रभावशीलता और बाजार की प्रतिक्रियाशीलता को मजबूत करने के लिए अपने हितधारक जुड़ाव प्रयासों को तेज किया। बोर्ड ने तीन कॉन्क्लेव आयोजित किए और संवाद को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और हितधारकों के बीच क्षमता निर्माण के लिए 28 गोलमेज सम्मेलन, वेबिनार, और पक्ष समर्थन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन पहलों ने आईबीबीआई को बाजार सहभागियों से मूल्यवान प्रतिक्रिया एकत्र करने में सक्षम बनाया, जिससे उभरती नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान करने, बाजार की अक्षमताओं को दूर करने और आईपी के लिए निगरानी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिली। इसके साथ ही, आईबीबीआई ने हितधारकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से अपने अनुसंधान और विश्लेषणात्मक पहलों का विस्तार किया, जिससे साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और सूचित नियामक हस्तक्षेपों को और बल मिला।

1.9 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 अगस्त 2025 में संसद में पेश किया गया था और वर्तमान में एक प्रवर समिति द्वारा इसकी विस्तृत जांच की जा रही है, और आगामी संसदीय सत्र में इसके पारित होने की उम्मीद है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, इसके अधीन परिकल्पित सुधार क्षेत्रों को लागू करने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

(रवि मितल)

ख समीक्षाधीन वर्ष

संहिता के अंतर्गत परिणाम

2.1 यह खंड शोधन अक्षमता कार्यवाही के परिणामों के आधार पर, आरपी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करते हुए, 2024–25 के दौरान प्रमुख परिणामों को प्रस्तुत करता है। संहिता के अन्य परिणामों को इस रिपोर्ट के अन्य खंडों में शामिल किया गया है।

2.2 मार्च, 2025 के अंत तक प्रक्रियाओं – सीआईआरपी, कॉर्पोरेट परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन का सारांश सारणी 1 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 1: सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का सारांश

(संख्या, यथाकथित को छोड़कर)

फाइल किए गए, बंद किए गए और जारी सीआईआरपी मामले	31 मार्च 2025 तक	2024–25 में
फाइल किए गए सीआईआरपी मामलों की कुल संख्या	8308	724
बंद किए गए कुल सीआईआरपी मामले	6382	715
अपील / समीक्षा / निपटारन / अन्य द्वारा बंद किए गए	1276	99
धारा 12क के अधीन वापसी	1154	71
समाधान योजना का अनुमोदन	1194	259
परिसमापन का प्रारंभ	2758	286
जारी सीआईआरपी	1926	एनए
समाधान में समाप्त होने वाले सीआईआरपी		
समाधान में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	1194	259
लिया गया समयः		
0–180 दिन	9	1
181–270 दिन	58	5
270+ दिन	1127	253
औसत दिन	713	853
कुल स्वीकृत दावे (करोड़ रुपये में)	1187051	162746
एफसी के स्वीकृत दावे	1075109	142130
ओसी के स्वीकृत दावे	111942	20616
कुल वसूली योग्य राशि (करोड़ रुपये में)	388904	55821
एफसी द्वारा वसूली योग्य राशि	376263	53718
ओसी द्वारा वसूली योग्य राशि	12641	2103
दावेदारों द्वारा स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में कुल वसूली योग्य राशि	32.8%	34.3%
एफसी द्वारा स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली योग्य राशि	35.0%	37.8%
ओसी द्वारा स्वीकृत दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली योग्य राशि	11.3%	10.2%
परिसमापन मूल्य (करोड़ रुपये में)	228640	24282
दावेदारों द्वारा परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में कुल वसूली योग्य राशि	170.1%	229.9%
मामलों की संख्या जहाँ वसूली परिसमापन मूल्य से कम है	294	60
बीआईएफआर / समाधान मामलों में चालू न रहने वाली संस्था	470	99

परिसमापन में समाप्त होने वाले सीआईआरपी	31 मार्च 2025 तक	2024–25 में
परिसमापन में समाप्त होने वाले मामलों की संख्या	2758	286
समय लगाः		
0–180 दिन	198	6
181–270 दिन	467	35
270+ दिन	2093	245
औसत दिन	508	639
कुल दावेः (करोड़ रुपये में)	1202622	99014
एफसी के दावे	1087498	85354
ओसी के दावे	115124	13660
परिसमापन मूल्य (करोड़ रुपये में)	72488	3412
कुल स्वीकृत दावों के % के रूप में परिसमापन मूल्य	6.03%	3.5%
ऐसे मामलों की संख्या जिनमें समाधान योजना (एँ) प्राप्त हुईं लेकिन स्वीकृत नहीं हुईं	644	64
स्वैच्छिक परिसमापन		
वर्ष के आरंभ में स्वैच्छिक परिसमापन	–	445
आरंभ	2279	382
वापस लिए गए	44	1
अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत	1704	295
जारी परिसमापन	531	531
परिहार लेनदेन		
आईपीज द्वारा फाइल किए गए परिहार लेनदेन से संबंधित आवेदनों की संख्या	1396	106
परिहार लेनदेन से संबंधित आवेदनों में शामिल राशि (करोड़ रुपये में)	385067.38	11026

वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान

2.3 सभी चार वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफआईएसपी) अर्थात दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के सीआईआरपी का इस संहिता के अंतर्गत समाधान प्राप्त किया गया है। एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में सीआईआरपी को एए के 20 फरवरी, 2025 के आदेश के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है। चार एफआईएसपी के समाधानों का विवरण सारणी 2 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 2: समाधान का विवरण वित्तीय सेवा प्रदाताओं का समाधान *(राशि करोड़ रुपये में)*

क्रमांक	समाधान के अंतर्गत निपटाए गए वित्तीय लेनदारों के दावे					समाधान आवेदक
	एफआईएसपी का नाम	स्वीकृत राशि	वसूली गई राशि	स्वीकृत दावों के% के रूप में वसूली	परिसमापन मूल्य के% के रूप में वसूली	
1	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	87247.68	37167.00	42.60%	138.42%	पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
2	श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड	33050.43	13784.76	42.12%	280.74%	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
3	श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड					
4	रिलायंस कैपिटल लिमिटेड	26088.97	9661.00	37.03%	73.42%	इंडसइंड इंटरनेशल होल्डिंग्स लिमिटेड

प्री–पैकेज्ड दिवाला समाधान प्रक्रिया

2.4 केंद्र सरकार ने 11 अगस्त, 2021 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया, जो 4 अप्रैल, 2021 को लागू माना गया, जिसके अधीन कॉर्पोरेट एमएसएमई के लिए पीपीआईआरपी की शुरुआत की गई। ये विनियम पीपीआईआरपी के अधीन कुछ प्रक्रियाओं और कार्यों को पूरा करने के तरीके प्रदान करते हैं। आईबीबीआई के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक पीपीआरआईपी शुरू करने के लिए चौदह आवेदन स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से एक को वापस ले लिया गया है और आठ मामलों में समाधान योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, अर्थात् अमृत इंडिया लिमिटेड, सुदल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री राजस्थान सिंटेक्स लिमिटेड, एन टी इंटरनेशनल लिमिटेड, जीसीसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मुद्रा लाइफस्पेसेज प्राइवेट लिमिटेड, गरोडिया केमिकल्स लिमिटेड और केवीर टावर्स प्राइवेट लिमिटेड। चल रहे मामलों का विवरण सारणी 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 3: 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार पीपीआईआरपी के चालू मामले

क्रमांक	सीडी का नाम	प्रवेश की तिथि	एनसीएलटी पीठ का नाम
1	केथोस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	04–01–24	अहमदाबाद
2	श्रीमती फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड	05–01–24	कोलकाता
3	क्रेटोस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	01–02–24	मुंबई
4	आरजी रेजीडेंसी प्राइवेट लिमिटेड	20–02–24	नई दिल्ली
5	वैदिक इस्पात प्राइवेट लिमिटेड	05–02–25	बेंगलुरु

व्यक्तिगत प्रक्रियाएँ

दिवाला समाधान प्रक्रिया

2.5 सीडी के पीजी संबंधी दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित प्रावधान 1 दिसंबर, 2019 से लागू हुए। आवेदकों, आईपी से प्राप्त जानकारी और एनसीएलटी तथा डीआरटी की विभिन्न पीठों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक 4203 आवेदनों में से, 120 आवेदनों को आरपी की नियुक्ति से पहले वापस/अस्वीकृत/खारिज कर दिया गया है और 1832 मामलों में आरपी नियुक्त किए जा चुके हैं। आरपी की नियुक्ति के बाद, 135 मामले वापस/अस्वीकृत/खारिज कर दिए गए हैं और 664 मामले स्वीकार किए गए हैं। विवरण नीचे दी गई सारणी 4 में दिया गया है।

सारणी 4: व्यक्तिगत प्रतिभूतिकर्ताओं का दिवाला समाधान

अवधि		आरपी की नियुक्ति से पहले			आरपी की नियुक्ति के बाद		स्वीकृत मामलों की संख्या
	दायर आवेदनों की संख्या	वापस लिए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकार/निरस्त आवेदनों की संख्या	उन मामलों की संख्या जहाँ आरपी नियुक्त किए गए हैं*	वापस लिए गए आवेदनों की संख्या	अस्वीकार/निरस्त आवेदनों की संख्या	
2019 – 20	27	0	0	2	0	0	0
2020 – 21	281	6	1	35	2	1	13
2021 – 22	1049	15	15	469	0	7	35
2022 – 23	989	19	30	556	13	25	214
2023 – 24	830	12	19	582	19	18	177
2024 – 25	1027	1	2	188	6	44	225
कुल	**4203**	**53**	**67**	**1832**	**40**	**95**	**664**

**इसमें स्वीकृत मामले और आरपी की नियुक्ति के बाद वापस लिए गए या खारिज किए गए या निरस्त किए गए मामले शामिल हैं।*

2.6 स्वीकृत 664 पीआईआरपी में से 196 बंद कर दिए गए हैं। इनमें से 12 वापस ले लिए गए हैं; 143 पुनर्भुगतान योजना प्रस्तुत न करने या अस्वीकार किए जाने पर बंद कर दिए गए हैं; और 39 पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दे दी गई है। जिन मामलों में पुनर्भुगतान योजना को मंजूरी दी गई है, उनमें लेनदारों ने 129.40 करोड़ रुपये वसूल किए हैं, जो उनके स्वीकृत दावों का 2.49% है।

शोधन अक्षमता प्रक्रिया

2.7 यदि समाधान प्रक्रिया विफल हो जाती है या पुनर्भुगतान योजना लागू नहीं होती है, तो देनदार या लेनदार शोधन अक्षमता प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदकों, आईपी से प्राप्त जानकारी और एनसीएलटी तथा डीआरटी की विभिन्न पीठों से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार, 31 मार्च, 2025 तक 63 शोधन अक्षमता आवेदन दायर किए गए हैं।

प्रमुख नीतिगत विकास

2.8 वर्ष 2024–25 के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता क्षेत्र में प्रमुख नीतिगत और नियामक विकास, अन्य प्राधिकरणों और नियामक निकायों द्वारा दी गई सुविधाओं सहित, सारणी 5 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 5: 2024–25 में नीतिगत और नियामक विकास का कालानुक्रम

दिनांक	विकास
अप्रैल 18, 2024	आईबीबीआई ने 18 अप्रैल, 2024 के परिपत्र के माध्यम से, परिसमापक शुल्क पर अपने 28 सितंबर, 2023 के परिपत्र के पैरा 2.1 और 2.5 को वापस ले लिया, और आईपी को शेष प्रावधानों का पालन करने और 31 मई, 2024 तक ऑनलाइन स्थिति की रिपोर्ट करने को कहा।
मई 09, 2024	आईबीबीआई ने 9 मई, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से, आईपी को अपने कार्यों से संबंधित न्यायिक आदेशों (एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय) को आईबीबीआई डैशबोर्ड पर अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण आदेशों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित हो सके।
जून 05, 2024	आईबीबीआई ने 5 जून, 2024 को 'शोधन अक्षमता पेशेवरों को आईआरपी, परिसमापक, आरपी और शोधन अक्षमता ट्रस्टी (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2024 के रूप में कार्य करने के लिए' नामक दिशानिर्देश जारी किए, ताकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर, 2024 तक एए द्वारा नियुक्तियों के लिए आईपी का एक सामान्य पैनल तैयार करने में सुविधा हो सके।
जून 28, 2024	आईबीबीआई ने 28 जून, 2024 के परिपत्रों के माध्यम से, आईपी के लिए संहिता के अधीन परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं का विवरण दाखिल करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पेश किए, जिन्हें निर्दिष्ट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके आईबीबीआई प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाना है और डीएससी या ई–साइन के माध्यम से सत्यापित किया जाना है।
अगस्त 06, 2024	आईबीबीआई ने 6 अगस्त, 2024 को सीओसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए, ताकि समय पर, पारदर्शी और समन्वित निर्णय लेने को बढ़ावा दिया जा सके जिसका उद्देश्य मूल्य अधिकतमीकरण हो, जिसमें निष्पक्षता, अखंडता, क्षमता, सहयोग, समयसीमा, लागत और समाधान योजनाओं की व्यवहार्यता को संबोधित करने वाले उपाय शामिल हों।
अगस्त 12, 2024	आईबीबीआई ने 12 अगस्त, 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आरवी/रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संस्थाओं (आरवीई) को आईबीसी के अधीन उनके द्वारा तैयार की गई प्रत्येक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए, उसे जमा करने से पहले, एक अद्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट पहचान संख्या (वीआरआईएन) तैयार करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, आईबीबीआई वेबसाइट पर हितधारकों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता सत्यापित करने की सुविधा प्रदान की गई है।
अगस्त 13, 2024	आईबीबीआई ने सूचना उपयोगिता (आईयू) विनियमों में संशोधन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, देनदार की प्रतिक्रिया अवधि को तीन दिनों से बढ़ाकर सात दिन कर दिया गया और आईयू को अधिकतम तीन अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता बताई गई, जिनमें से प्रत्येक में प्रतिक्रिया देने के लिए सात दिन का समय दिया गया। इसके साथ ही, आईयू को आरओडी जारी करने से पहले देनदार की ईमेल आईडी, ऋण का प्रमाण, ऋण की नवीनतम पावती और चूक

	के प्रमाण जैसे प्रमुख विवरणों को सत्यापित करने का आदेश दिया गया ताकि यह पर्याप्त प्रमाण के रूप में कार्य कर सके। आरबीआई अधिनियम, 1934 के अधीन अनुसूचित बैंकों के वित्तीय लेनदारों के लिए, आईयू सत्यापित विवादों वाली राशियों के लिए चूक के रिकॉर्ड को 'विवादित' और शेष चूक राशि के लिए 'प्रमाणित' के रूप में चिह्नित करेगा।
अगस्त 13, 2024	आईबीबीआई ने 13 अगस्त, 2024 को निरीक्षण और जांच विनियमों में संशोधन किया, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस के निपटान की समयसीमा को एससीएन जारी करने की तारीख से 35 दिनों से बढ़ाकर जवाब प्राप्त होने की नियत तारीख से 60 दिन कर दिया गया।
सितंबर 24, 2024	आईबीबीआई ने 24 सितंबर, 2024 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया, ताकि अन्य बातों के साथ–साथ, प्राधिकृत प्रतिनिधि (एआर) के चयन के लिए निर्धारित समय के बाद प्राप्त फॉर्म सीए (एआर की पसंद को दर्शाते हुए) पर विचार को बाहर रखा जाए, एए द्वारा एआर की नियुक्ति लंबित रहने तक एआर के अधिकारों और कर्तव्यों के साथ कार्य करने के लिए एक अंतरिम प्रतिनिधि प्रदान किया जाए।
अक्टूबर 09, 2024	आईबीबीआई ने 9 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से परिसमापकों और आईपीए के अनुरोधों के बाद, आईबीबीआई/एलआईक्यू/73/2024 को 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2024 कर दिया गया है।
अक्टूबर 09, 2024	आईबीबीआई ने हितधारकों द्वारा उल्लिखित तकनीकी समस्याओं के कारण, परिपत्र संख्या आईबीबीआई/एलआईक्यू/74/2024 के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को 30 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दिया।
अक्टूबर 29, 2024	आईबीबीआई ने 29 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से, पारदर्शिता बढ़ाने, सूचना अंतराल को कम करने और बोलीदाताओं की भागीदारी में सुधार करने के लिए, 1 नवंबर, 2024 से परिसमापन परिसंपत्तियों की केंद्रीकृत सूचीकरण और नीलामी के लिए, आईबीए के सहयोग से पीएसबी एलायंस द्वारा विकसित ई–बिक्रय प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनिवार्य कर दिया।
दिसंबर 02, 2024	आईबीबीआई ने 2 दिसंबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं से संबंधित फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी।
दिसंबर 02, 2024	आईबीबीआई ने 2 दिसंबर, 2024 को आईआरपी, परिसमापक, आरपीएस और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए दिवाला पेशेवरों की अनुशंसा (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2024 जारी किए, ताकि 1 जनवरी से 30 जून, 2025 की अवधि के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा आईआरपी, आरपी, परिसमापक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में नियुक्तियों के लिए आईपी के एक सामान्य पैनल की तैयारी की सुविधा मिल सके।
जनवरी 09, 2025	आईबीबीआई ने 9 जनवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं से संबंधित फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी, और आईपी को सटीक और सत्य प्रस्तुतियाँ प्रदान करना, साथ ही अनुपालन को सुगम बनाने के लिए एफएक्यू और तकनीकी सहायता प्रदान की है।
जनवरी 10, 2025	आईबीबीआई ने 10 जनवरी, 2025 के परिपत्रों के माध्यम से, अप्रैल से परिसमापन प्रक्रियाओं में सभी परिसंपत्ति नीलामियों के लिए बैंकनेट प्लेटफ़ॉर्म (पूर्व में ई–बिक्रय) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। 1 अप्रैल, 2025 को, आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2025 तक सभी चल रहे परिसमापन मामलों में बिना बिकी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि वे सभी संपत्तियां 31 मार्च, 2025 तक सूचीबद्ध की जाएं।
जनवरी 28, 2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को आईबीबीआई (शोधन अक्षमता व्यावसायिक एजेंसियों के आदर्श उपनियम और शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमों में संशोधन किया ताकि एएफए–संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा में ढील दी जा सके, आईपी को समाप्ति से 90 दिन पहले तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सके (पहले 45 दिन) और आईपीए को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एएफए आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकार करने के लिए 90 दिन तक का समय दिया जा सके (पहले 15 दिन), जिसका उद्देश्य परिचालन दक्षता को बढ़ाना है।
जनवरी 28, 2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को परिसमापन विनियमों में संशोधन किया ताकि अन्य बातों के साथ–साथ, संभावित बोलीदाताओं के लिए भागीदारी अवधि को लगभग 30 दिनों तक बढ़ाकर नीलामी प्रक्रियाओं को मजबूत किया जा सके

	जवाबदेही और नियामक निगरानी बढ़ाने के लिए, परिसमापकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौता या व्यवस्था की योजना के अनुमोदन पर एए के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करनी होती है और आईबीबीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न चरणों में निर्दिष्ट प्रपत्र जमा करने होते हैं। इन विनियमों के अनुसार, कॉर्पोरेट परिसमापन खाते में दावा न किए गए लाभांश जमा करने से पहले परिसमापक द्वारा कर कटौती का विस्तृत खुलासा करना आवश्यक है।
जनवरी 28, 2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को स्वैच्छिक परिसमापन विनियमों में संशोधन किया ताकि स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, भले ही अप्रयुक्त पूंजी मौजूद हो, और आईबीबीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट चरणों में प्रपत्र दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया।
जनवरी 28, 2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को परिवेदना और शिकायत निवारण विनियमों में संशोधन किया, ताकि शिकायत या परिवाद दायर करने की समय–सीमा को एए, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष संहिता के अधीन प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाहियों के बंद होने की तारीख से 30 दिनों तक बढ़ा दिया जाए, ताकि समय पर लेकिन प्रबंधनीय हितधारक निवारण सुनिश्चित हो सके।
जनवरी 28, 2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और जांच) (संशोधन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया। संशोधन "अनुशासनात्मक समिति" (डीसी) की परिभाषा के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि "संबद्ध" शब्द का अर्थ जांच या निरीक्षण के संचालन में भागीदारी, जांच या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करना, या कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा।
जनवरी 29, 2025	29 जनवरी, 2025 को, आईबीबीआई ने उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को मज़बूत करने, सबमिशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और व्यतिक्रम के अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार के लिए आईबीबीआई (सूचना उपयोगिताएँ) विनियम, 2017 के अंतर्गत तकनीकी मानकों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया। अब, सूचना उपयोगिताओं को पैन या अन्य वैध दस्तावेज़ों का उपयोग करके उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करनी होगी और यूआईडीएआई के माध्यम से जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण भी करना होगा, जिसके लिए उप–एयूए लाइसेंस आवश्यक है। धारा 7 या 9 के अधीन सीआईआरपी शुरू करने से पहले, डिफ़ॉल्ट जानकारी आईयू के पास दर्ज की जानी चाहिए, जो व्यतिक्रम के अभिलेखों को जारी करेगा।
फरवरी 03, 2025	आईबीबीआई ने 3 फरवरी, 2025 को सीआईआरपी विनियमों में संशोधन किया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ईओआई चरण में सीडी के एमएसएमई खुलासे की स्थिति को अनिवार्य किया गया, सीओसी को रियल एस्टेट मामलों में भूमि प्राधिकरणों को आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया, आईपी द्वारा सीओसी और एए को विकास अधिकारों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता बताई गई, रियल एस्टेट मामले में एसोसिएशन या आवंटियों के समूह के लिए ईओआई मानदंडों में ढील दी गई, सीओसी की मंजूरी के बाद प्लॉट, अपार्टमेंट, भवन आदि के कब्जे और रजिस्ट्रीकरण की सुविधा दी गई, बड़े लेनदार वर्गों में सुविधाकर्ताओं की नियुक्ति की अनुमति दी गई, उनकी भूमिकाएं परिभाषित की गईं और समाधान योजना के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया।
फरवरी 11, 2025	आईबीबीआई ने 11 फरवरी, 2025 के परिपत्र के माध्यम से आईपी के लिए विभिन्न आईबीसी प्रक्रियाओं में अपनी नियुक्तियों के बारे में बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता को औपचारिक रूप दिया। हालाँकि आईपी सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन के लिए कार्यभार जोड़ रहे हैं, लेकिन दिवाला समाधान प्रक्रिया और व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं (पीजी) के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया और वित्तीय सेवा प्रदाताओं (एफएसपी) के प्रशासक से संबंधित भूमिकाओं के लिए कोई अधिदेश नहीं था। अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, आईपी को अब आईआरपी, आरपी, परिसमापक, बीटी और एफएसपी के प्रशासक जैसी भूमिकाओं के लिए नियुक्ति के तीन दिनों के भीतर कार्यभार जोड़ना होगा।
मार्च 17, 2025	17 मार्च, 2025 के परिपत्र में आईपी को निर्देश दिया गया कि वे सूचना ज्ञापन में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आगे ले जाने वाले नुकसान का विवरण देने वाला एक समर्पित अनुभाग शामिल करें, ताकि संभावित समाधान आवेदकों को सूचित समाधान योजना तैयार करने में सहायता मिल सके।

मार्च 28, 2025	उपरोक्त परिपत्र 10 जनवरी, 2025 के क्रम में, आईबीबीआई ने 28 मार्च, 2025 को एक और परिपत्र जारी किया, जिसमें निर्देश दिया गया कि सभी आईपी को परिसमापन प्रक्रिया के दौरान संपत्ति की बिक्री के लिए विशेष रूप से बैंकनेट नीलामी मंच का उपयोग करना है, जहाँ नीलामी नोटिस 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद जारी किए जाते हैं। परिपत्र में यह भी अनिवार्य किया गया है कि नीलामी नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाए कि संभावित बोलीदाताओं को आईबीसी की धारा 29ऐ के अधीन पात्रता की घोषणा सहित आवश्यक दस्तावेज बैंकनेट मंच के माध्यम से जमा करने होंगे। इसके अतिरिक्त, बोलीदाताओं को मंच के माध्यम से ईएमडी जमा करना होगा, और यह कहा जाना चाहिए कि यदि बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

ग बोर्ड के कार्य

3.1 संहिता की धारा 196 में बोर्ड के कार्यों का उल्लेख है, जिन्हें मोटे तौर पर तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) **अर्ध–विधायी कार्य:** बोर्ड सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए विनियम बनाता है;

(ख) **कार्यकारी कार्य:** बोर्ड दिवाला प्रक्रिया के लिए सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और निगरानी करता है और शिक्षा, परीक्षा, प्रशिक्षण और सीपीई आदि के माध्यम से हितधारकों के व्यावसायिक विकास के लिए उपाय करता है; और

(ग) **अर्ध–न्यायिक कार्य:** बोर्ड सेवा प्रदाताओं के व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उनके उल्लंघनों पर निर्णय देता है।

3.2 इनमें से प्रत्येक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 2024–25 के दौरान बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों का विवरण इस धारा में दिया गया है।

अर्ध–विधायी कार्य

3.3 वर्ष 2024–25 में बोर्ड ने कुछ मौजूदा विनियमों में संशोधन किए, जिनका विवरण खंड 'ख' में दिया गया है। विनियमों में इन संशोधनों का विवरण रिपोर्ट के खंड 'च' के प्रासंगिक उप–खंडों के अधीन प्रदान किया गया है।

कार्यकारी कार्य

3.4 परिचालन विनियम, अधिसूचित विनियमों को दिन–प्रतिदिन लागू करने की प्रक्रिया है ताकि इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। विनियमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए, कई गतिविधियाँ, जो कार्यकारी कार्यों की प्रकृति की हैं, की जाती हैं।

सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण

3.5 31 मार्च, 2025 तक, आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत सेवा प्रदाताओं का विवरण सारणी 6 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 6: सेवा प्रदाताओं का रजिस्ट्रीकरण और एएफए विवरण

सेवा प्रदाता	संख्या	
	31 मार्च, 2025 तक	2024–25 में
रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक	4435*	114
रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक (आईपीई)	91	16
मान्यता प्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएँ	127#	7
रजिस्ट्रीकृत आईपीए	3	शून्य
रजिस्ट्रीकृत सूचना उपयोगिता	1	शून्य
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक – व्यक्ति	5812@	280
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक – संस्थाएँ	118	8
रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन	14$	शून्य
आईपीए द्वारा जारी/नवीनीकृत असाइनमेंट के लिए कुल प्राधिकरण	2198^	1604

नोट: 1. * उन 24 मामलों को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है और 34 मामलों को छोड़कर जहाँ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।

2. # उन 48 आईपीई को छोड़कर जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है।

3. @ उन 4 आरवी को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

4. ^ उन 1693 एएफए को छोड़कर जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई है/नवीनीकरण नहीं हुआ है।

5 $ एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड वैल्यूएटर्स एंड एनालिस्ट्स (एसीवीए), आरवीओ का आईओवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स प्रतिष्ठान, आईओवी में विलय कर दिया गया है।

आईआरपी को आरपी से प्रतिस्थापित करना

3.6 31 मार्च, 2025 तक, कुल 6423 आईआरपी को आरपी के रूप में नियुक्त किया गया है, जैसा कि सारणी 7 में दर्शाया गया है।

सारणी 7: 31 मार्च, 2025 तक आईआरपी को आरपी से प्रतिस्थापित करना

सीआईआरपी की शुरुआत करने वाला आवेदक	सीआईआरपी की संख्या	
	जहां आरपी की नियुक्ति हो चुकी है	जहां आरपी आईआरपी से भिन्न है
कॉर्पोरेट आवेदक	161	469
ऑपरेशनल क्रेडिटर	852	2648
वित्तीय क्रेडिटर	696	3306
कुल	**1709**	**6423**

आईपी का पैनल

3.7 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान आईपी के दो पैनल तैयार किए, जैसा कि सारणी 8 में दर्शाया गया है।

सारणी 8: 2024–25 के दौरान तैयार किए गए आईपी के पैनल

क्रम संख्या	पैनल की तिथि	दिशानिर्देशों के अंतर्गत तैयार पैनल	पैनल में क्षेत्रों की संख्या	पैनल मे आईपी की संख्या
1	28.06.2024	दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2024 05 जून, 2024 को जारी किए गए	15	427
2	02.01.2025	दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2024 02 दिसंबर, 2024 को जारी किए गए	15	1043

क्षमता निर्माण

3.8 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आईबीबीआई ने आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के लाभ के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के खंड च. 3 में प्रस्तुत किया गया है।

सतत व्यावसायिक शिक्षा (सीपीई)

3.9 आईपी विनियमों में प्रावधान है कि आईपी को अपना रजिस्ट्रीकरण वैध बनाए रखने के लिए सीपीई से गुजरना होगा। आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटों का विवरण सारणी 9 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 9: 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आईपी द्वारा अर्जित सीपीई घंटे

अवधि	सदस्यों द्वारा अर्जित सीपीई घंटों की संख्या			
	आईआईआईपी आईसीएआई	आईसीएसआई आईआईपी	आईपीए आईसीएआई	कुल
2019 – 20	1160	695	320	2175
2020 – 21	18465	8746	4647	31858
2021 – 22	14123	7890	3872	25885
2022 – 23	22185	10732	3433	36350
2023 – 24	5803	9835	3715	19353
2024 – 25	14240	9125	3635	27000
कुल	**75976**	**47023**	**19622**	**142621**
प्रति रजिस्ट्रीकृत आईपी औसत सीपीई घंटे	**27.34**	**38.67**	**44.60**	**32.16**

सीमित दिवाला परीक्षा

3.10 आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारूप आदि प्रकाशित करता है और इसे प्रासंगिक बनाए रखने तथा बाजार की गतिशीलता के अनुरूप बनाए रखने के लिए निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करता है। सीमित दिवाला परीक्षा 31 दिसंबर, 2016 को शुरू हुई।

3.11 वर्ष 2024–25 के दौरान, कुल 545 उम्मीदवारों ने 827 नामांकन किए। इन 545 उम्मीदवारों में से, 478 परीक्षा में शामिल हुए और कुल 723 प्रयास किए, जिनमें से 115 प्रयास (15.9 प्रतिशत प्रयास या 24.05 प्रतिशत उम्मीदवार) सफल रहे। इनमें से 18 पूर्वी क्षेत्र से, 41 उत्तरी क्षेत्र से, 31 पश्चिमी क्षेत्र से और 25 दक्षिणी क्षेत्र से हैं।

मूल्यांकन परीक्षाएँ

3.12 आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2018 को तीन परिसंपत्ति वर्गों (क) भूमि और भवन, (ख) संयंत्र और मशीनरी, और (ग) प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन परीक्षाएँ शुरू कीं। 2024–25 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश सारणी 10 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 10: 2024–25 में मूल्यांकन परीक्षाओं का सारांश

(संख्या)

क्रम. सं.	परिसंपत्ति वर्ग	रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	कुल रजिस्ट्रीकरण	प्रयास करने वाले अभ्यर्थी	कुल प्रयास	सफल प्रयास
1.	भूमि एवं भवन	914	1528	881	1451	201
2.	संयंत्र एवं मशीनरी	144	215	132	195	30
3.	प्रतिभूतियाँ या वित्तीय परिसंपत्तियाँ	642	969	568	830	82

रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार

3.13 आईबीबीआई ने 2024–25 में किसी भी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार नहीं किया है।

आईयू के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण

3.14 31 मार्च, 2025 के अंत तक आईयू के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण सारणी 11 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 11: एनईएसएल के पास उपलब्ध जानकारी का विवरण

(संख्या, यथाकथित को छोड़कर)

वर्ष / माह के अंत में	एनईएसएल के साथ समझौता करने वाले लेनदार		लेनदार जिन्होंने जानकारी प्रस्तुत की है		देनदार जिनकी जानकारी प्रस्तुत की गई है		शामिल ऋण अभिलेख		अंतर्निहित ऋण की राशि (करोड़ रुपये)		प्रयोक्ता रजिस्ट्रीकरण (देनदार)	देनदारों द्वारा अधिप्रमाणत किए गए ऋण अभिलेख		देनदारों द्वारा प्रमाणित व्यतिक्रमों की संख्या
	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	एफसी	ओसी	देनदारों की संख्या	अभिलेखों की संख्या	मूल्य (करोड़ रुपये)	
2018 – 19	173	एनए	114	169	1266445	230	1955230	316	4114988	16224	15148	13799	48428	54
2019 – 20	267	एनए	381	543	6551739	6191	9417317	167719	7873689	31910	73332	109726	118428	240075
2020 – 21	289	एनए	621	675	8988348	9066	14565545	292206	13195075	36770	139980	283839	499957	442584
2021 – 22	347	एनए	692	779	9494394	3312	14039325	185166	14539538	42894	241753	514932	682369	299584
2022 – 23	415	एनए	770	1204	18391569	11529	25946358	333694	18829291	53691	678212	802698	812320	612901
2023 – 24	515	एनए	922	2022	25414547	15469	38507605	406943	21321068	74677	1320691	1254272	1594838	612784
2024 – 25	560	एनए	1064	2961	29592073	23688	43246874	398370	22424061	77424	2306125	1779321	1798430	401545

शिकायतें और परिवाद

3.15 31 मार्च, 2025 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निस्तारण का विवरण सारणी 12 में दिया गया है।

सारणी 12: 31 मार्च, 2025 तक शिकायतों और परिवादों की प्राप्ति और निस्तारण

(संख्या)

वर्ष	प्राप्त शिकायतें और परिवाद						कुल		
	विनियमों के अंतर्गत		सीपीजीआरएएम/पीएमओ/एमसीए/अन्य प्राधिकरणों के माध्यम से		अन्य माध्यम से		प्राप्त हुईं	निपटाई गईं	जांच के अधीन
	प्राप्त हुईं	निपटाई गईं	प्राप्त हुईं	निपटाई गईं	प्राप्त हुईं	निपटाई गईं			
2017 – 2018	18	0	6	0	22	2	46	2	44
2018 – 2019	111	51	333	290	713	380	1157	721	480
2019 – 2020	153	177	239	227	1268	989	1660	1393	747
2020 – 2021	268	260	358	378	990	1364	1616	2002	361
2021 – 2022	276	279	574	570	611	784	1461	1633	189
2022 – 2023	235	211	399	386	238	272	872	869	192
2023 – 2024	209	193	435	452	311	271	955	916	231
2024 – 2025	267	239	320	342	316	314	903	895	239
कुल	**1537**	**1410**	**2664**	**2645**	**4469**	**4376**	**8670**	**8431**	**239**

3.16 यह पाया गया है कि 84.88 प्रतिशत प्रक्रियाओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों के संदर्भ में शीर्ष 10 प्रक्रियाओं में कुल शिकायतों का 39.92 प्रतिशत हिस्सा है, जबकि शेष में शेष 60.08 प्रतिशत शिकायतें हैं।

3.17 यह देखा गया है कि 57.59 प्रतिशत आईपी के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतों के संदर्भ में शीर्ष 10 आईपी कुल शिकायतों का 38.64 प्रतिशत हिस्सा हैं, जबकि शेष में 61.36 प्रतिशत शिकायतें हैं। यह देखा गया है कि अधिकांश शिकायतें सीडी के प्रमोटरों और निदेशकों से प्राप्त होती हैं, जबकि अधिकांश परिवाद घर खरीदारों से प्राप्त होती हैं।

निरीक्षण एवं अन्वेषण

3.18 बोर्ड द्वारा किए गए आईपी अधिकारों के निरीक्षणों / अन्वेषणों का विवरण सारणी 13 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 13: आईबीबीआई द्वारा किए गए आईपी के निरीक्षण एवं अन्वेषण

(संख्या)

निरीक्षण/अन्वेषण	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
आदेशित किए गए	2	10	55	62	106	358	223	67
पूर्ण किए गए	0	3	27	53	54	337	263	116
जारी	2	9	37	46	98	119	79	30

अर्ध–न्यायिक कार्य

3.19 आईबीबीआई और आईपीए, अड़ियल सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करते हैं। 2024–25 के दौरान आईपी और आरवी/आरवीई/आरवीओ के विरुद्ध आईबीबीआई द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण क्रमशः सारणी 14 और 15 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 14: आईपी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निस्तारण

(संख्या)

कारण बताओ नोटिस	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25
जारी किए गए	4	9	14	50	23	86	68	48
निस्तारित किए गए	शून्य	11	7	48	16	71	52	73*
शेष	**4**	**2**	**09**	**11**	**18**	**33**	**49**	**28**

*एससीएन को नए सिरे से सुनवाई और निस्तारण के लिए वापस भेजे जाने के बाद चार आदेश पारित किए गए।

सारणी 15: आरवी/आरवीई/आरवीओ के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करना और उनका निस्तारण

कारण बताओ नोटिस	2023–24	2024–25
जारी किए गए	1	9
निस्तारित किए गए	9	8
शेष	0	1
मूल्यांकन नियमावली 17 (9) के अंतर्गत अपील का निस्तारण	4	0

3.20 अनुशासनात्मक समिति ने 2024–25 के दौरान आईपी से संबंधित 73 अनुशासनात्मक कार्यवाई पूरी की और आदेश जारी किए।

3.21 प्राधिकारण ने कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 17 के अंतर्गत 8 कारण बताओ नोटिसों का निस्तारण किया और 2024–25 के दौरान आदेश जारी किए।

घ बोर्ड का कार्य–निष्पादन

4.1 संहिता की धारा 196 में आईबीबीआई की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख है। यह एक अद्वितीय नियामक है, जो दिवाला व्यवसाय सहित सेवा प्रदाताओं और दिवाला प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस पर संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आईपी, आईपीए, आईयू और अन्य संस्थानों के विकास को बढ़ावा देना और उनके कामकाज और प्रथाओं को विनियमित करने का उत्तरदायित्व है। यह प्रत्येक दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रिया के बारे में प्रासंगिक डेटा और जानकारी एकत्र, व्यवस्थित और प्रसारित करता है और दिवाला और शोधन अक्षमता में अनुसंधान और अध्ययन करता है और उन्हें बढ़ावा देता है। इन जिम्मेदारियों में धारा 196 में उल्लिखित कार्यों को पूरा करने के लिए अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक शक्तियों का प्रयोग विहित है। यह देश में मूल्यांककों के व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अधीन 'प्राधिकरण' के रूप में भी कार्य करता है। प्राधिकरण के रूप में, यह आरवी और आरवीओ का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन करता है।

4.2 वर्ष 2021 में, आईबीबीआई ने संहिता से अलग, एक नियामक के रूप में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक अद्वितीय पहल की। तदनुसार, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा आईबीबीआई का एक तृतीय–पक्ष मूल्यांकन किया गया, और इसने '*भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नियामक प्रदर्शन का मूल्यांकन*' शीर्षक से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4.3 बोर्ड के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए, रिपोर्ट में निर्धारित मूल्यांकन ढांचे, परिणाम–आधारित ढांचे और संकेतकों के आधार पर, वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा पूरी की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:

(क) **सेवा प्रदाताओं का प्रतिस्पर्धी बाजार:** बोर्ड बाजार पेशेवरों के एक उच्च–गुणवत्ता वाले समूह को बनाए रखने का प्रयास जारी रखता है। इस उद्देश्य से, बोर्ड ने वर्ष के दौरान 114 व्यक्तियों को आईपी के रूप में, 16 आईपीई को आईपी के रूप में, 7 आईपीई, 280 आरवी और 8 आरवीई को रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया। सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण हेतु, बोर्ड ने वर्ष के दौरान 28 कार्यक्रम आयोजित किए।

(ख) **दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रणालियों के कामकाज में सुधार:** बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024–25 में 9 संशोधन विनियमों को अधिसूचित किया, जिससे संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं में सुधार हुआ और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिली। इसके अलावा, बोर्ड ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान 14 परिपत्र जारी किए।

(ग) **अनुपालन और निगरानी के प्रति सुव्यवस्थित दृष्टिकोण:** बोर्ड ने वर्ष के दौरान अपनी निगरानी गतिविधियाँ जारी रखीं। बोर्ड ने 2024–25 में आईपी अधिकारों के 116 निरीक्षण/अन्वेषण पूरी कीं और 48 आई पी और 9 आरवी/आरवीई/आरवीओ को एससीएन जारी किए।

(घ) **प्राकृतिक न्याय पर आधारित न्यायिक कार्यवाही:** वर्ष के दौरान, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और प्रक्रियात्मक एवं प्रशासनिक निष्पक्षता के अनुरूप, अनुशासनात्मक समिति ने आईपी से संबंधित 73 एससीएन का और प्राधिकरण ने आरवीओ/आरवीई/आरवी से संबंधित 8 एससीएन का निस्तारण किया।

(ङ) **सेवा प्रदाताओं के विनियमन के प्रति जबावदेही दृष्टिकोण:** बोर्ड, आईबीबीआई (नियम जारी करने की व्यवस्था), 2018 में वर्णित विस्तृत नियमों को जारी करने के लिए एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया का पालन करता है। बोर्ड ने विभिन्न नियमों में प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के लिए 2024–25 के दौरान दस चर्चा पत्र जारी किए। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर बोर्ड की टिप्पणियाँ आईबीबीआई वेबसाइट पर भी प्रसारित की गईं। इसके अतिरिक्त, बोर्ड के पास वेबसाइट पर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म और एक समर्पित ईमेल (feedback@ibbi.gov.in) के माध्यम से पूरे वर्ष मौजूदा नियमों पर सुझाव प्राप्त करने की एक स्थायी व्यवस्था है। आईबीबीआई वार्षिक आधार पर, हितधारकों सहित जनता से, संहिता के अंतर्गत अब तक अधिसूचित विनियमों पर टिप्पणियाँ आमंत्रित करता है। प्राप्त सार्वजनिक टिप्पणियों के आधार पर, आईबीबीआई के वार्षिक विनियमों की एक व्यापक समीक्षा 2024 में पूरी की गई, जो केंद्रीय बजट 2023–24 में अनुपालन को सरल बनाने और कम करने की घोषणा के अनुरूप है। इसी तरह की समीक्षा 2025 में भी शुरू की गई है।

(च) **पारदर्शी और जवाबदेह नियामक प्रथाएँ:** बोर्ड ने ऐसी प्रथाओं को शामिल किया है जो इसे एक पारदर्शी और जवाबदेह नियामक बनाती हैं। आईबीबीआई के जीबी ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपना स्व–मूल्यांकन किया, जिसके परिणाम इस रिपोर्ट के खंड ड़ में प्रस्तुत किए गए हैं। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपनी कार्यनीति क कार्य योजना तैयार की, जिसकी समीक्षाधीन अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए निगरानी की गई। आईबीबीआई की लेखा परीक्षा समिति ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो बार बैठक की, जिसमें अर्ध–वार्षिक आंतरिक लेखा

परीक्षा रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2023–24 के बोर्ड के वित्तीय विवरण और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया। 2024–25 में जीबी की चार बैठकें हुईं, प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित की गई। वर्ष के दौरान आयोजित प्रत्येक बैठक के एजेंडे और उस पर लिए गए निर्णय, बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, बोर्ड सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण, वापसी, निलंबन और रजिस्ट्रीकरण रद्द करने से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है।

(छ) **सभी हितधारकों के साथ स्पष्ट और लक्षित संचारः** बोर्ड इस रिपोर्ट के खंड च. 3 में वर्णित विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ व्यापक रूप से संवाद करता है।इसके अलावा, बोर्ड के पास हितधारकों की शिकायतों और परिवाद के निवारण के लिए एक संरचित प्रक्रिया है, जो कि (शिकायत और परिवाद प्रबंधन प्रक्रिया) विनियम, 2017 में निर्धारित है। बोर्ड अपनी वेबसाइट और त्रैमासिक समाचार पत्रों पर एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से संहिता और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत प्रक्रियाओं पर उच्च–गुणवत्ता वाले विस्तृत आँकड़े प्रकाशित करता है।

विनियम निर्माण में बोर्ड द्वारा अपनाई गई परामर्श प्रक्रिया नीचे दिए गए बॉक्स में प्रस्तुत की गई है।

विनियमन तैयार करने के दौरान हितधारकों से परामर्श

नियामक निकायों को, प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों का प्रयोग करते समय, विशेषज्ञता और सार्वजनिक जबावदेही के बीच संतुलन बनाना चाहिए। हालांकि संसद अधीनस्थ विधान की निगरानी करती है, लेकिन विनियमन बनाने में संरचित हितधारक जुड़ाव और पारदर्शिता नियामक प्रक्रिया की लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करती है।

विनियमों की आवधिक समीक्षा

निरंतर सुधार के लिए आईबीबीआई का समर्पण प्रत्येक विनियमन की हर तीन वर्ष में या जरूरत पड़ने पर पहले भी समीक्षा करने की इसकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। ये समीक्षाएं उद्देश्यों की प्राप्ति, कार्यान्वयन अनुभव, प्रवर्तन चुनौतियों और बदलती बाजार स्थितियों पर विचार करती हैं। यह नियमित समीक्षा प्रक्रिया, हितधारकों की निरंतर प्रतिक्रिया के साथ, यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि नियामक ढांचा प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे।

विनियम बनाने की प्रणाली

आईबीबीआई ने नियामक हस्तक्षेप करने की एक कठोर पद्धति में अग्रणी भूमिका निभाई है और इसके लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। 2018 में, आईबीबीआई ने विनियमन निर्माण में जन भागीदारी के लिए एक औपचारिक रूपरेखा जारी की, जिसे आईबीबीआई (विनियम जारी करने के लिए तंत्र विनियम, 2018 में संहिताबद्ध किया गया। ये विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि विनियामक निर्णय अलग–थलग विकसित होने के बजाय हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद से सामने आएं।

विनियम जारी करने के इस तंत्र के तीन मूलभूत पहलू हैं:

- मौजूदा विनियमों में संशोधनों सहित, प्रत्येक विनियमन (तत्काल विनियमों को छोड़कर) बनाने से पहले एक सार्वजनिक परामर्श आयोजित किया जाएगा। विनियम, 2018 में परामर्श से पहले और विनियमन जारी होने के समय प्रकाशित की जाने वाली जानकारी निर्दिष्ट की गई है।
- आईबीबीआई प्रत्येक प्रस्तावित विनियमन का आर्थिक विश्लेषण करेगा और इसे प्रकाशित करेगा।
- प्रभावी विनियमों की हर तीन वर्ष में समीक्षा की जाएगी ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि उन्हें निरस्त करने या संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। यह समीक्षा उनके उद्देश्यों, परिणामों और विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के संबंध में की जाएगी।

व्यापक सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया

सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया, आईबीबीआई के नियामक मध्यवर्तन का आधार बनती है। बोर्ड अपनी वेबसाइट पर प्रस्तावित विनियामक मध्यवर्तन सहित चर्चा लेखों को प्रकाशित करता है, जिसमें सार्वजनिक अभ्युक्तियों के लिए न्यूनतम 21 दिनों की परामर्श अवधि होती है।

बोर्ड द्वारा जारी चर्चा लेखों में कई प्रमुख घटक होते हैं। इनमें प्रस्तावित विनियमों का मसौदा और संहिता का वह विशिष्ट उपबंध शामिल हैं जिसके अंतर्गत बोर्ड इन विनियमों का प्रस्ताव करता है। इन लेखों में उस समस्या का विवरण भी होता है जिसका समाधान प्रस्तावित विनियमों द्वारा किया जाना है। इसके अतिरिक्त, ये प्रस्तावित विनियमों के कार्यान्वयन के तरीके, सार्वजनिक अभ्युक्तियां प्राप्त करने के तरीके, प्रक्रिया और समय–सीमा की रूपरेखा तैयार करते हैं।

बोर्ड सार्वजनिक अभ्युक्तियां प्राप्त करने के अलावा, उद्योग/संस्थानों/संगठनों के साथ सहयोग और हितधारकों के साथ गोलमेज विचार–विमर्श के माध्यम से विचारों को एकत्रित करता है। आईबीबीआई के विचारों सहित सभी अभ्युक्तियां और सुझाव निर्णय के लिए शासी बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं। शासी बोर्ड के अनुमोदन के बाद आईबीबीआई द्वारा अंतिम अधिसूचना के साथ विनियमन निर्माण प्रक्रिया समाप्त होती है। नीचे दी गई तालिका बोर्ड द्वारा किए गए सार्वजनिक परामर्शों को प्रस्तुत करती है।

सार्वजनिक परामर्श	वर्ष									
	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25	कुल
विमर्श लेख	7	11	9	20	5	10	6	8	10	**86**
हितधारकों के साथ गोलमेज सम्मेलन	8	44	22	22	18	12	6	5	2	**139**
अन्य कार्यक्रम	1	6	7	16	40	38	30	47	26	**211**

अभ्युक्तियों पर अभ्युक्तियां

आईबीबीआई सर्वोत्तम नियामक प्रथाओं को अपनाते हुए, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ गया है। आईबीबीआई न केवल सार्वजनिक अभ्युक्तियां आमंत्रित करता है, बल्कि प्राप्त अभ्युक्तियों पर बोर्ड की अपनी अभ्युक्तियों के साथ–साथ जनता से प्राप्त सभी अभ्युक्तियों को अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करता है। यह सुनिश्चित करके कि नियम सुविचारित, व्यापक रूप से परामर्शित, व्यावहारिक और हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, साथ ही दिवाला एवं शोधन अक्षमता व्यवस्था के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए, आईबीबीआई प्राधिकरण और जवाबदेही के बीच प्रभावी संतुलन बनाने का प्रयास करता है।

बाह्य प्रदर्शन मूल्यांकन

आईबीबीआई ने निरंतर सुधार करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, इसने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) को अपने प्रदर्शन का बाह्य मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा। यह दर्शाता है नियामक आत्मविश्वास और आत्म–आलोचनात्मक होने का इच्छुक है। मूल्यांकन में 97 प्रदर्शन संकेतकों का उपयोग करके आईबीबीआई की नियामक गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ''इस मूल्यांकन के परिणाम से इस बात की पुष्टि होती है कि आईबीबीआई एक प्रासंगिक, कुशल और उच्च गुणवत्ता वाला भारतीय नियामक है।"

आईपीए के माध्यम से हितधारक इनपुट

नियामक परामर्श प्रक्रिया आईपीए से प्राप्त इनपुट द्वारा और समृद्ध होती है, जो हितधारक परामर्श आयोजित करते हैं और विशिष्ट अध्ययन समूहों का गठन करते हैं। उदाहरण के लिए, तीन आईपीए में से एक, आईआईआईपीआई ने अपने अध्ययन समूह के माध्यम से ''आईपी द्वारा अनुपालन रिपोर्टिंग में दोहराव/अतिरेक को दूर करना'' पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की गई जहाँ आईपी के लिए अनुपालन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को युक्तिसंगत बनाया जा सकता है। बोर्ड प्रस्तावित नियामक सुधारों के लिए चर्चा पत्र तैयार करते समय आईपीए से ऐसे विश्लेषणात्मक इनपुट प्राप्त करता है।

शासी बोर्ड के निर्णयों का प्रकटीकरण

विनियमन–निर्माण से लेकर आईबीबीआई के समग्र शासन तक पारदर्शिता परिलक्षित होती है। बोर्ड नियमित रूप से अपनी वेबसाइट पर शासी बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची और निर्णयों को प्रकाशित करता है। यह प्रकटीकरण हितधारकों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि बोर्ड हितधारकों और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ के लिए प्रत्येक नियामक मध्यवर्तन पर कैसे विचार करता है।

सूचना सुलभता

आईबीबीआई वेबसाइट एक वन–स्टॉप रिपोजिटरी के रूप में कार्य करती है जो हितधारकों को शोधन अक्षमता व्यवस्था से संबंधित सभी सूचनाओं तक पहुँच प्रदान करती है, जिसमें रिपोर्ट, विमर्श लेख, विधिक ढाँचे, प्रकाशनों, नियामक अपडेट और न्यायालयी आदेशों के माध्यम से पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जाती है।

उत्तरदायी नियामक विकास

आईबीसी, क्षेत्र–विशिष्ट बारीकियों और तेजी से विकसित होते न्यायशास्त्र के साथ एक अपेक्षाकृत नया कानून है, इसमें अन्य स्थापित कानूनों की तुलना में उभरते बाजार की वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक सतत नियामक परिशोधन की आवश्यकता है। आईबीबीआई का नियामक ढाँचा संशोधनों को नीचे से ऊपर उठाने की सोच के साथ खड़ा है जहां परिवर्तन ऊपर से नीचे लाने के निदेशों की बजाय मुख्य रूप से बाजार की प्रतिक्रिया और हितधारकों के इनपुट से संचालित होते हैं।

ङ शासी बोर्ड का कार्य–निष्पादन

5.1 आईबीबीआई का शासी बोर्ड (जीबी) इसे कार्यनीतिक दिशा प्रदान करता है और प्रबंधन पर नियंत्रण एवं निगरानी रखता है। आईबीबीआई (शासी बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2017 (बोर्ड विनियम) के साथ संहिता, जीबी के कार्य और उक्त व्यवसाय के लेन–देन के तरीके को निर्दिष्ट करती है।

5.2 आईबीबीआई के पास अर्ध–विधायी, कार्यकारी और अर्ध–न्यायिक उत्तरदायित्व हैं। अर्ध–विधायी कार्य जीबी का अनन्य क्षेत्राधिकार हैं। अर्ध–न्यायिक कार्य कार्यकारी निदेशक (डीसी) का अनन्य क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें डब्ल्यूटीएम शामिल हैं। कार्यकारी कार्य आईबीबीआई (शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 के अनुसार बोर्ड के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। बोर्ड विनियम बोर्ड के सदस्यों के लिए एक आचरण चार्टर निर्दिष्ट करते हैं। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासी बोर्ड (जीबी) इस प्रकार कार्य करे कि उसके अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो या सदस्यों की अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की क्षमता जनता के विश्वास को कम न करे।

शासी बोर्ड की बैठकें

5.3 2024–25 के दौरान शासी बोर्ड की चार बैठकें हुईं। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण सारणी 16 में प्रस्तुत किया गया है।

सारणी 16: शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति

नाम	पद	2024–25 में बोर्ड की बैठकों की संख्या	
		पदासीन रहने के दौरान आयोजित	भाग लिया
श्री रवि मितल	अध्यक्ष	4	4
श्री जयंती प्रसाद	डब्ल्यूटीएम	4	4
श्री संदीप गर्ग	डब्ल्यूटीएम	4	4
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	डब्ल्यूटीएम	1	1
श्री सुधाकर शुक्ला	डब्ल्यूटीएम	2	2
डॉ. राजीव मणि	पदेन सदस्य	4	3
श्री उन्नीकृष्णन ए.	पदेन सदस्य	2	2
सुश्री अनीता शाह अकेला	पदेन सदस्य	4	4
सुश्री रीतू जैन	पदेन सदस्य	4	3
श्री वैभव चतुर्वेदी	पदेन सदस्य	2	2
श्री एम. पी. राम मोहन	अंशकालिक सदस्य	4	4
श्री एल.वी. प्रभाकर	अंशकालिक सदस्य	1	1

कार्यनिष्पादन का आकलन

5.4 समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम के रूप में, आईबीबीआई के शासी बोर्ड ने एक स्व–मूल्यांकन प्रश्नावली तैयार की है। सारणी 17, प्रश्नावली पर सदस्यों के उत्तरों के आधार पर, 2024–25 में शासी बोर्ड के प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करती है। कुल मिलाकर, शासी बोर्ड ने प्रदर्शन मूल्यांकन के तीनों आयामों में स्वयं को अच्छा प्रदर्शन करने वाला पाया है, साथ ही उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी सामने लाया है जिनमें और सुधार की आवश्यकता है।

सारणी 17: 2024–25 में शासी बोर्ड कार्यनिष्पादन

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड संरचना और गुणवत्ता	बोर्ड के सदस्यों का ज्ञान, अनुभव और कौशल बोर्ड के कार्यों और कर्तव्यों के पूरक हैं।	96	उत्कृष्ट
	हमारा संगठन एक कार्यनीति क योजना या मापनीय लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के एक समूह के साथ संचालित होता है।	88	उत्कृष्ट

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
	सभी बोर्ड सदस्यों को संगठन के विज़न, मिशन, उसकी कार्यनीति क दिशा और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं मानव संसाधनों की स्पष्ट समझ है।	84	बहुत अच्छा
	बोर्ड ने अपने प्रत्येक प्रमुख हितधारक के साथ संगठन के संबंधों की पहचान और समीक्षा की है और उनके साथ उचित स्तर का संचार किया है।	86	उत्कृष्ट
	बोर्ड की संरचनाएँ (जैसे, लेखा परीक्षा समिति) और प्रक्रियाएँ (जैसे, कार्यवाही रिपोर्ट; कार्यनीतिक कार्य योजना) बोर्ड के प्रदर्शन की प्रभावी निगरानी में सहायक हैं।	98	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकें स्वस्थ और गहन चर्चाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बहस को प्रोत्साहित करती हैं।	90	उत्कृष्ट
	बोर्ड अपना अधिकांश समय दीर्घकालिक कार्यनीतिक और नीतिगत मुद्दों पर लगाता है।	80	बहुत अच्छा
	बोर्ड शासी बोर्ड की बैठकों में शीर्ष प्रबंधन के माध्यम से अपनी कार्यनीतिक दिशा और मूल्यों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करता है।	88	उत्कृष्ट
	बोर्ड आचरण के मानकों का पालन कर रहा है और हितों के टकराव की घोषणा कर रहा है।	94	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	**89**	**उत्कृष्ट**
आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड की बैठकें और प्रक्रियाएँ	बोर्ड की बैठकें पर्याप्त नियमितता से होती हैं और बैठकों की आवृत्ति बोर्ड के लिए अपने कर्तव्यों का उचित ढंग से निर्वहन करने हेतु पर्याप्त होती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड बैठक की कार्यसूची और संबंधित पृष्ठभूमि पत्र संक्षिप्त होते हैं और मामले पर निर्णय लेने के लिए उचित गुणवत्ता और विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं।	92	उत्कृष्ट
	बैठक से संबंधित सभी जानकारी सदस्यों को समय पर प्रदान की जाती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड बैठकों से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहीयों का उचित रूप से अनुवर्तन किया जाता है और बाद की बोर्ड बैठकों में उनकी समीक्षा की जाती है।	100	उत्कृष्ट
	बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त स्पष्ट, सटीक, सुसंगत और पूर्ण होते हैं और समय पर अनुमोदित होते हैं	92	उत्कृष्ट
	बोर्ड की बैठकों में बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति और भागीदारी पर्याप्त है	98	उत्कृष्ट
	सामरिक और सामान्य मुद्दों पर चर्चा में बिताया गया समय पर्याप्त है।	86	उत्कृष्ट
	यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाएँ मौजूद हैं कि बैठकों के बीच बोर्ड को सभी महत्वपूर्ण मामलों (उचित बाहरी जानकारी सहित, जैसे कि महत्वपूर्ण नियामक परिवर्तन) के बारे में पूरी जानकारी दी जाए।	90	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	**95**	**उत्कृष्ट**
आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
बोर्ड के कार्य और विकासक्रम	यह सुनिश्चित करता है कि उसे नियमित और समझने योग्य वित्तीय रिपोर्ट/विवरण प्राप्त हों।	100	उत्कृष्ट
	संगठन की स्वतंत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा बनाए रखी जाती है।	98	उत्कृष्ट
	बोर्ड के पास शीर्ष प्रबंधन और अन्य लोगों के साथ संवाद के खुले माध्यम हैं और उसे उचित जानकारी दी जाती है।	84	बहुत अच्छा

आयाम	मापदंड	% प्राप्तांक	रेटिंग
	बोर्ड प्रभावी निर्णयों और उनके कार्यान्वयन को सक्षम बनाने के लिए घटनाओं पर सकारात्मक और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, साथ ही अपने शासन में पारदर्शिता और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है।	92	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पक्ष और सहयोगात्मक रूप से निर्णय लेते हैं और ऐसे निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से ज़िम्मेदार महसूस करते हैं।	86	उत्कृष्ट
	बोर्ड के सदस्य आईबीबीआई के एक महत्वपूर्ण कार्य, अर्थात संहिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सेवा प्रदाताओं के विनियमन, संवर्धन और विकास को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं।	94	उत्कृष्ट
	खंडीय % प्राप्तांक	**92**	**उत्कृष्ट**

आगामी मार्ग

5.5 उभरती चुनौतियों का त्वरित और कुशलतापूर्वक समाधान किए जाने के साथ संहिता के अधीन दिवाला और शोधन अक्षमता व्यवस्था का विकास जारी है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 अगस्त 2025 में संसद में प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान में एक प्रवर समिति द्वारा इसकी विस्तृत विवेचना की जा रही है, जिसके आगामी संसदीय सत्र में पारित होने की उम्मीद है। संसद द्वारा विधेयक पारित होने के बाद, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) इसके अंतर्गत परिकल्पित सुधार क्षेत्रों के कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा।

च नीतियाँ, कार्यक्रम और कार्यकलाप

च.1 सेवा प्रदाता

6.1 संहिता के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास सारणी 18 में प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 18: सेवा प्रदाताओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नियामक और नीतिगत विकास

तारीख	व्यष्टियां
	क. दिवाला व्यावसायिक / दिवाला व्यावसायिक संस्थाएँ
आईपी के पैनल के लिए दिशानिदेश	
05.06.2024	आईबीबीआई ने 1 जुलाई, 2024 से 31 दिसंबर, 2024 तक आईआरपी, परिसमापक, आरपी और बीटी की नियुक्ति के लिए दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) दिशानिर्देश, 2024' नाम से दिशानिर्देश जारी किए।
02.12.2024	आईबीबीआई ने 1 जनवरी, 2025 से 30 जून, 2025 तक आईआरपी, परिसमापक, आरपी और शोधन अक्षमता ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए दिवाला व्यावसायिकों को अंतरिम समाधान व्यावसायिक, परिसमापक, समाधान व्यावसायिक और शोधन अक्षमता ट्रस्टी के रूप में कार्य करने के लिए (अनुशंसा) (द्वितीय) दिशानिर्देश, 2024' नाम से दिशानिर्देश जारी किए।
	ख. दिवाला व्यावसायिक एजेंसियाँ
आदर्श उप–विधि विनियमों में संशोधन	
28.01.2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को आईबीबीआई (शोधन अक्षमता व्यावसायिक एजेंसियों का आदर्श उप–नियम और शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियमों में संशोधन किया ताकि एएफए–संबंधित प्रक्रियाओं के लिए समय–सीमा में ढील दी जा सके, जिससे आईपी को समाप्ति से 90 दिन पहले तक नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके (पहले 45 दिन) और आईपीए को एएफए आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकार करने के लिए 90 दिन तक का समय दिया जा सके (पहले 15 दिन)।
	ग. सूचना उपयोगिता
सूचना उपयोगिता विनियमों में संशोधन	
13.08.2024	आईबीबीआई ने 13 अगस्त, 2024 को सूचना उपयोगिता विनियमों में संशोधन किया, जिससे अन्य बातों के साथ–साथ, देनदार की प्रतिक्रिया अवधि तीन दिनों से बढ़ाकर सात दिन कर दी गई और आईयू को अधिकतम तीन अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता हुई, जिनमें से प्रत्येक में उत्तर देने के लिए सात दिन का समय दिया गया। इसके साथ ही, आईयू को आरओडी जारी करने से पहले देनदार की ईमेल आईडी, ऋण का प्रमाण, ऋण की नवीनतम पावती और चूक के प्रमाण जैसे प्रमुख विवरणों को सत्यापित करने का आदेश दिया गया ताकि यह पर्याप्त प्रमाण के रूप में कार्य कर सके। आरबीआई अधिनियम, 1934 के अधीन अनुसूचित बैंकों वाले वित्तीय लेनदारों के लिए, आईयू सत्यापित विवादों वाली राशियों के लिए चूक के रिकॉर्ड को 'विवादित' और शेष चूक राशि के लिए 'प्रमाणित' के रूप में चिह्नित करेगा।
29.01.2025	आईबीबीआई ने आईबीबीआई (सूचना उपयोगिता) विनियम, 2017 के अंतर्गत तकनीकी मानकों के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है ताकि उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण को सुदृढ़ किया जा सके, प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके और चूक के रिकॉर्ड के प्रबंधन में सुधार किया जा सके ।अब सूचना प्राधिकरणों को पैन कार्ड या अन्य वैध दस्तावेजों का उपयोग करके उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करनी होगी, जिनके लिए संबंधित पहचान पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा आईबीबीआई को सत्यापन सुविधा प्रदान की गई हो। साथ ही, आईबीबीआई को यूआईडीएआई के माध्यम से उपयोगकर्ता का जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण भी करना होगा, जिसके लिए यूआईडीएआई से उप–एयूए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

तारीख	व्यष्टियां
	घ. अन्य विकास क्रम
06.08.2024	**सीओसी के संचालन हेतु दिशानिर्देशः** आईबीबीआई ने सीओसी सदस्यों द्वारा अधिक प्रभावी, पारदर्शी, समन्वित और समयबद्ध निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिए 6 अगस्त, 2024 को सीओसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के हित में संहिता के अधीन समयबद्ध तरीके से समाधान में मदद करेंगे।
13.08.2024	**निरीक्षण एवं जाँच विनियमों में संशोधनः** आईबीबीआई ने 13 अगस्त, 2024 को निरीक्षण एवं जाँच विनियमों में संशोधन किया, ताकि अनुशासन समिति द्वारा कारण बताओ नोटिस के निपटान की समय–सीमा, एससीएन जारी होने की तिथि से 35 दिनों से बढ़ाकर उत्तर प्राप्ति की नियत तिथि से 60 दिन कर दी जाए।
28.01.2025	**शिकायत एवं परिवाद निवारण विनियमों में संशोधनः** आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को शिकायत एवं शिकायत निवारण विनियमों में संशोधन किया, ताकि एए, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष संहिता के अंतर्गत प्रक्रिया से संबंधित सभी कार्यवाहियों के समापन की तिथि से 30 दिनों तक शिकायत या परिवाद दायर करने की समय–सीमा बढ़ाई जा सके, जिससे समय पर एवं प्रबंधनीय हितधारक निवारण सुनिश्चित हो सके।
28.01.2025	**निरीक्षण एवं जाँच विनियमों में संशोधनः** आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण एवं जाँच) (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किए। इस संशोधन में "अनुशासन समिति" (डीसी) की परिभाषा में स्पष्टीकरण दिया गया है कि "संबद्ध" शब्द का अर्थ जाँच या निरीक्षण के संचालन में संलिप्तता, जाँच या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार, या कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा।

परिपत्र

6.2 बोर्ड समय–समय पर आईपी, आईपीए और आईयू की निगरानी हेतु परिपत्र जारी करता है ताकि उसके निगरानी कार्य को सुगम बनाया जा सके, संहिता और विनियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुगम बनाया जा सके, या विनियमों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट या स्पष्ट किया जा सके। समीक्षाधीन अवधि में बोर्ड द्वारा जारी कुछ महत्वपूर्ण परिपत्र सारणी 19 में सूचीबद्ध हैं।

सारणी 19: बोर्ड द्वारा 2024–25 में जारी किए गए परिपत्र

तारीख	व्यष्टियां
18–04–2024	**परिसमापक शुल्क के संबंध में स्पष्टीकरणः** आईबीबीआई ने 18 अप्रैल, 2024 के परिपत्र के माध्यम से, परिसमापक शुल्क पर अपने 28 सितंबर, 2023 के परिपत्र के पैरा 2.1 और 2.5 को वापस ले लिया, और आई पी अधिकारों (आईपी) को शेष प्रावधानों का पालन करने और 31 मई, 2024 तक ऑनलाइन स्थिति की रिपोर्ट करने को कहा।
09–05–2024	**आईपी द्वारा न्यायिक आदेशों का अनिवार्य अपलोडः** आईबीबीआई ने 9 मई, 2024 के अपने परिपत्र के माध्यम से, आईपी अधिकारों, को अपने कार्यों से संबंधित न्यायिक आदेशों (एनसीएलटी, एनसीएलएटी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय) को आईबीबीआई डैशबोर्ड पर अपलोड करने का निर्देश दिया ताकि हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण आदेशों तक समय पर पहुँच सुनिश्चित हो सके।
28–06–2024	**आईबीसी के अधीन परिसमापन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए फॉर्म दाखिल करनाः** आईबीबीआई ने 28 जून, 2024 के परिपत्रों के माध्यम से, आईपी के लिए संहिता के अधीन परिसमापन प्रक्रियाओं का विवरण दाखिल करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पेश किए, जिन्हें आईबीबीआई प्लेटफॉर्म पर निर्दिष्ट क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके जमा किया जाना है और डीएससी या ई–साइन के माध्यम से सत्यापित किया जाना है।
28–06–2024	**आईबीसी के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी के लिए फॉर्म दाखिल करनाः** आईबीबीआई ने 28 जून 2024 के परिपत्र के माध्यम से आईपी के लिए आईबीबीआई के प्लेटफॉर्म पर कोड के तहत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया का विवरण दाखिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पेश किए।
12–08–2024	**आईबीसी के अधीन (आरवी) द्वारा किए गए मूल्यांकन के लिए वीआरआईएन का सृजनः** आईबीबीआई ने 12 अगस्त, 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आरवी/(आरवीई) को आईबीसी के अधीन उनके द्वारा तैयार की गई प्रत्येक मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए,

तारीख	व्यष्टियां
	उसे जमा करने से पहले, एक अद्वितीय मूल्यांकन रिपोर्ट पहचान संख्या (वीआरआईएन) उत्पन्न करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, आईबीबीआई वेबसाइट पर हितधारकों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता सत्यापित करने की सुविधा प्रदान की गई है।
09–10–2024	**परिसमापन प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार:** आईबीबीआई ने 9 अक्टूबर, 2024 को एक परिपत्र जारी कर परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी, जैसा कि परिपत्र संख्या के अधीन निर्देशित किया गया है। परिपत्र संख्या आईबीबीआई/एलआईक्यू/73/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अधीन, 30 सितंबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। यह परिसमापकों और (आईपीए) से प्राप्त अभ्यावेदन के कारण किया गया है, जिसमें फॉर्म जमा करने में शामिल तकनीकी और समस्याओं का हवाला देते हुए फाइलिंग तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी।
09–10–2024	**स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा का विस्तार:** आईबीबीआई ने 9 अक्टूबर, 2024 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर, 2024 से 30 नवंबर, 2024 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। यह परिसमापकों और आईपीए से प्राप्त अभ्यावेदन के कारण किया गया है, जिसमें फॉर्म जमा करने में शामिल तकनीकी और समस्याओं का हवाला देते हुए फाइलिंग तिथि बढ़ाने की मांग की गई थी।
29–10–2024	**परिसमापनाधीन परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु केंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक सूचीकरण और नीलामी मंच:** आईबीबीआई ने 29 अक्टूबर, 2024 के परिपत्र के माध्यम से, पारदर्शिता बढ़ाने, सूचना अंतराल को कम करने और बोलीदाताओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए, 1 नवंबर, 2024 से परिसमापनाधीन परिसंपत्तियों की केंद्रीकृत सूचीकरण और नीलामी के लिए, आईबीए के सहयोग से पीएसबी एलायंस द्वारा विकसित ई–बिक्रय प्लेटफॉर्म के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है।
02–12–2024	**परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा में वृद्धि:** आईबीबीआई ने 2 दिसंबर, 2024 के एक परिपत्र के माध्यम से, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं के अंतर्गत फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, 28 जून, 2024 और 9 अक्टूबर, 2024 के परिपत्रों के माध्यम से समय सीमा 30 सितंबर, 2024 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2024 कर दी गई थी।
09–01–2025	**परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं की निगरानी हेतु फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा में वृद्धि:** आईबीबीआई ने 9 जनवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी कर संहिता के अंतर्गत परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं से संबंधित फॉर्म दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, समय सीमा 30 सितंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2024 कर दी गई थी। परिपत्र संख्या आईबीबीआई/एलआईक्यू/79/2024 के अनुसार। तकनीकी कठिनाइयों का हवाला देते हुए परिसमापकों और आईपीए द्वारा प्रस्तुत आगे के अभ्यावेदनों के आधार पर, अब समय सीमा 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दी गई है। अनुपालन को सुगम बनाने के लिए, आईबीबीआई वेबसाइट (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं और आईपी निर्दिष्ट सहायता ईमेल पर फाइलिंग में किसी भी तकनीकी समस्या की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, चूँकि यह देखा गया था कि कुछ आईपी गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहे थे, जैसे कि सभी फ़ील्ड में शून्य दर्ज करना, इसलिए परिपत्र आईपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी सटीक, सत्य और सहायक दस्तावेज़ों के अनुरूप हो। इस विस्तार का उद्देश्य अनुपालन को आसान बनाना और संहिता के अधीन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं में पारदर्शिता बनाए रखना है।
10–01–2025	आईबीबीआई ने 10 जनवरी, 2025 के परिपत्रों के माध्यम से, अप्रैल से परिसमापन प्रक्रियाओं में सभी परिसंपत्ति नीलामियों के लिए बैंकनेट प्लेटफ़ॉर्म (पूर्व में ई–बिक्रय) के उपयोग को अनिवार्य कर दिया। 1 अप्रैल, 2025 को, आईबीबीआई ने 31 मार्च, 2025 तक सभी चल रहे परिसमापन मामलों में बिना बिकी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि वे सभी संपत्तियां 31 मार्च, 2025 तक सूचीबद्ध की जाएं।
11–02–2025	**विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत आईपी की नियुक्ति पर बोर्ड को सूचना:** आईबीबीआई ने 11 फ़रवरी, 2025 को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें आईपी के लिए आईबीसी की विभिन्न प्रक्रियाओं के अंतर्गत अपनी नियुक्तियों के बारे में बोर्ड को सूचित करने की आवश्यकता को औपचारिक रूप दिया गया। हालाँकि आईपी पहले से ही सीआईआरपी, परिसमापन और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाओं के लिए आईबीबीआई पोर्टल पर असाइनमेंट जोड़ रहे थे, लेकिन वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही के अंतर्गत व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं और प्रशासक की दिवाला समाधान प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया से संबंधित असाइनमेंट जोड़ने की

तारीख	व्यष्टियां
	कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं थी। रिकॉर्ड–कीपिंग और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, आईपी को अब वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए आईआरपी, आरपी, परिसमापक, बीटी और प्रशासक सहित भूमिकाओं के लिए नियुक्ति के समय असाइनमेंट जोड़ना होगा। इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से शुरू होने वाले सभी मामलों के लिए, आईपी द्वारा उनकी नियुक्ति के तीन दिनों के भीतर असाइनमेंट जोड़ना होगा। चल रहे मामलों के लिए, समय–सीमा 28 फरवरी, 2025 तक और बंद मामलों के लिए 31 मार्च, 2025 तक है। पीजी से सीडी मामलों के लिए, समय–सीमा 30 अप्रैल, 2025 है।
17–03–2025	**आईएम में आगे ले जाने वाले नुकसानों का प्रकटीकरण:** आईबीबीआई ने 17 मार्च, 2025 के परिपत्र के माध्यम से, आईपी को निर्देश दिया कि वे आईएम में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन आगे ले जाने वाले नुकसानों का विवरण देने वाला एक समर्पित खंड शामिल करें, ताकि संभावित समाधान आवेदकों को सूचित समाधान योजनाएँ तैयार करने में सहायता मिल सके। यह विवरण निम्नलिखित पहलुओं को प्रमुखता से उजागर करेगा, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है: (क) सीडी के लिए उपलब्ध आगे ले जाने वाले नुकसानों की मात्रा; (ख) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार विशिष्ट शीर्षकों के अंतर्गत इन नुकसानों का विवरण; (ग) इन नुकसानों के उपयोग के लिए लागू समय–सीमा; और (घ) यदि सीडी के लिए कोई आगे ले जाने वाला नुकसान उपलब्ध नहीं है, तो आईएम को इसे स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए।
28–03–2025	**10 जनवरी, 2025 को आईबीबीआई ने एक और परिपत्र जारी किया जिसमें निम्नलिखित निर्देश दिए गए:**– (क) सभी आईपी परिसमापन प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों की बिक्री हेतु नीलामी आयोजित करने के लिए विशेष रूप से बैंकनेट नीलामी मंच का उपयोग करेंगे, जहां 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद नीलामी नोटिस जारी किया जाता है; (ख) सभी आईपी नीलामी नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि: (i) संभावित बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक नीलामी मंच के माध्यम से आईबीसी की धारा 29क के अधीन पात्रता की घोषणा सहित अपेक्षित दस्तावेज जमा करेंगे; (ii) संभावित बोलीदाता बैंकनेट नीलामी मंच के माध्यम से ईएमडी जमा करेंगे; और (iii) यह भी निर्दिष्ट किया जाएगा कि यदि बोलीदाता अयोग्य पाया जाता है, तो ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

च.2: प्रक्रियाएँ

6.3 संहिता कॉर्पोरेट व्यक्तियों के दिवाला समाधान हेतु चार प्रक्रियाओं का प्रावधान करती है, अर्थात् सीआईआरपी, फास्ट ट्रेक समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया और भाग II के अंतर्गत स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया। ये प्रक्रियाएँ 2016 और 2017 में लागू हुई हैं। इसमें व्यक्तिगत प्रतिभूतिकर्ताओं (पीजी) से लेकर सीडी तक की दिवाला समाधान प्रक्रिया और शोधन अक्षमता प्रक्रिया का भी प्रावधान है, जो 2019 में लागू हुई। यह उप–धारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया में विनियामक विकासों को सूचीबद्ध करती है।

सारणी 20: 2024–25 के दौरान प्रक्रियाओं से संबंधित विनियामक विकास

तारीख	व्यष्टियां
	सीआईआरपी विनियमों में संशोधन
24–09–2024	आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन करके निम्नलिखित प्रावधान किए: (क) यदि फॉर्म सीए सार्वजनिक घोषणा में निर्धारित समय के बाद प्राप्त होता है, तो फॉर्म सीए में किसी वर्ग में एफसी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि (एआर) के रूप में कार्य करने के लिए किसी आईपी के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा; (ख) जब तक लेनदारों के किसी वर्ग के लिए एआर की नियुक्ति का आवेदन एए के समक्ष विचाराधीन है, तब तक संबंधित लेनदारों के वर्ग के एआर के रूप में चयनित आईपी, ऐसे लेनदारों के वर्ग के लिए एक अंतरिम प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा, और सीओसी की बैठकों में भाग लेने का हकदार होगा और उसके पास एआर के समान अधिकार और कर्तव्य होंगे; और (ग) 18 सितंबर, 2023 के सीआईआरपी विनियमों में संशोधन में विनियम 12 (2) के लोप के कारण, सीआईआरपी विनियमों के विनियम 16क (1), विनियम 12 (3) और विनियम 40क में परिणामी परिवर्तन किए गए हैं।

तारीख	व्यष्टियां
03–02–2025	आईबीबीआई ने सीआईआरपी विनियमों में संशोधन करके निम्नलिखित प्रावधान किए: (i) फॉर्म जी में परिवर्तन के साथ ईओआई चरण में सीडी के एमएसएमई रजिस्ट्रीकरण की स्थिति का प्रकटीकरण अनिवार्य करना। (ii) सीओसी को भूमि प्राधिकरणों, जिन्हें रियल एस्टेट विनियमन अधिनियम, 2016 में "सक्षम प्राधिकारी" के रूप में परिभाषित किया गया है, को बिना मतदान के अधिकार के, रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े मामलों में निर्णय लेने वाली सीओसी बैठकों में आमंत्रित करने का अधिकार देना। (iii) आईपी को शोधन अक्षमता शुरू होने के 60 दिनों के भीतर रियल एस्टेट परियोजना के विकास के लिए आवश्यक विकास अधिकारों और अनुमतियों की स्थिति के विवरण के साथ सीओसी और एए को एक रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता। (iv) सीओसी, रियल एस्टेट मामलों में किसी एसोसिएशन या आवंटियों के समूह के लिए, रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने हेतु पात्रता मानदंड, वापसी योग्य जमा राशि से संबंधित शर्तों और निष्पादन सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता में ढील दे सकती है। (v) आरपी, रियल एस्टेट परियोजना के अंतर्गत हस्तांतरित किए जाने हेतु सहमत प्लॉट, अपार्टमेंट, भवन या किसी भी उपकरण का कब्ज़ा सौंप देगा और रजिस्ट्रीकरण की सुविधा प्रदान करेगा, जहाँ आवंटी ने इसके लिए अनुरोध किया हो और सीओसी के 66% मतदान के अनुमोदन से समझौते के अधीन अपनी भूमिका निभाई हो। (vi) जहाँ किसी वर्ग में ऋणदाताओं की संख्या 1000 से अधिक हो, वहाँ सीओसी, आईआरपी या आरपी को, जैसा भी मामला हो, निर्देश दे सकती है कि वह आईआरपी, आरपी और एआर के अलावा किसी आईपी या किसी अन्य व्यक्ति को, किसी वर्ग के ऋणदाताओं के भीतर किसी उप–वर्ग के लिए सूत्रधार नियुक्त करे, बशर्ते कि वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन हो:– (क) सूत्रधार की नियुक्ति पर केवल तभी विचार किया जाएगा, जब समिति की पहली बैठक के बाद, किसी वर्ग के कुल ऋणदाताओं में से कम से कम 100 ऋणदाताओं वाला एक उप–वर्ग, प्रस्तावित सूत्रधार के नाम के साथ ऐसी नियुक्ति के लिए एक एजेंडा शामिल करने का अनुरोध करे; (ख) सूत्रधारों की कुल संख्या पाँच से अधिक नहीं होगी; और (ग) प्रत्येक उप–वर्ग के लिए सूत्रधार का शुल्क एआर के लिए निर्दिष्ट शुल्क का बीस प्रतिशत होगा और ऐसा शुल्क दिवाला समाधान प्रक्रिया लागत का हिस्सा होगा। (vii) उप–वर्ग के सदस्यों के बहुमत की अनुशंसा पर, समिति सुविधाकर्ता का स्थान ले सकती है। (viii) सुविधाकर्ता (ओं) की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (क) एआर और उप–वर्ग के लेनदारों के बीच संचार को सुगम बनाना; (ख) संबंधित उप–वर्ग के लेनदारों के बीच संचार को सुगम बनाने के लिए, पर्यवेक्षक के रूप में, सीओसी की बैठकों में भाग लेना; (ग) एआर की सलाह के अनुसार, किसी उप–वर्ग के लेनदारों को दिवाला समाधान प्रक्रिया के बारे में जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करना; और (घ) प्रतिनिधित्व और संचार में सुधार के लिए सीओसी द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कार्य। (ix) सीओसी समाधान योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक निगरानी समिति गठित करने पर विचार करेगी, जिसमें आरपी या कोई अन्य आईपी, या सीओसी के प्रतिनिधियों और आरए (ओं) के प्रतिनिधियों सहित कोई अन्य व्यक्ति इसके सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। निगरानी समिति समाधान योजना के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एए को तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

तारीख	व्यष्टियां
परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन	
28–01–2025	आईबीबीआई ने 28 जनवरी, 2025 को परिसमापन विनियमों में संशोधन किया ताकि, अन्य बातों के साथ–साथ, संभावित बोलीदाताओं के लिए भागीदारी अवधि को लगभग 30 दिनों तक बढ़ाकर नीलामी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया जा सके, धारा 29क के अधीन बोलीदाताओं की पात्रता प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जा सके और परिसमापक द्वारा उच्चतम बोलीदाता की पात्रता का सत्यापन आवश्यक किया जा सके। जवाबदेही और नियामक निगरानी बढ़ाने के लिए, परिसमापकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अधीन समझौता या व्यवस्था की योजना के अनुमोदन पर एए के पास अंतिम रिपोर्ट दाखिल करनी होती है और आईबीबीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न चरणों में निर्दिष्ट प्रपत्र जमा करने होते हैं। विनियमों के अनुसार, कॉर्पोरेट परिसमापन खाते में दावा न किए गए लाभांश जमा करने से पहले परिसमापक द्वारा कर कटौती का विस्तृत खुलासा करना आवश्यक है।
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन	
28–01–2025	आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2025 अधिसूचित किया। संशोधित विनियम, अप्रयुक्त पूँजी होने पर भी स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति देता है। कॉर्पोरेट स्वैच्छिक परिसमापन खाते के संबंध में, संशोधित विनियमों में प्रावधान है कि आईबीबीआई एक अनुसूचित बैंक के साथ इस खाते का रखरखाव और संचालन करेगा। संशोधित विनियमों में निर्दिष्ट चरणों में फॉर्म दाखिल करने की अनिवार्य आवश्यकता को भी शामिल किया गया है।

च.3 हितधारकों से जुड़ाव

6.4 आईबीबीआई अपने हितधारकों के साथ विभिन्न माध्यमों जैसे पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम, वेबिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, निबंध और मूट प्रतियोगिताएं, आईबीसी पर ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रश्नोत्तरी और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के माध्यम से जुड़ता है। वर्ष 2024–25 के दौरान, बोर्ड द्वारा 14 पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम, एक निबंध प्रतियोगिता और दो मूट कोर्ट प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी 21, 22 और 23 में सूचीबद्ध है।

सारणी 21: 2024–25 में बोर्ड द्वारा आयोजित पक्ष–समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम

क्र.सं	दिनांक	विवरण	विषय	के सौजन्य से
1	04.04.2024	राष्ट्रीय मॉक सीआईआरपी प्रतियोगिता	आईबीसी, 2016	जीएनएलयू
2	13.04.2024	सम्मेलन	सीमापार दिवाला और समूह दिवाला	आईवीएसबी, एफसीडीओ यूके, आईआईआईपी आईसीएआई
3	19.04.2024 – 26.04.2024	आईबीसी पर 10वां ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	आईबीसी, 2016	आईवीएसबी
4	29.04.2024	रियल एस्टेट दिवाला पर सम्मेलन	रियल एस्टेट शोधन अक्षमता	एनएलयू दिल्ली
5	30.05.2024– 06.06.2024	आईबीसी पर 11वां ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	आईबीसी, 2016	आईवीएसबी
6	31.05.2024 – 01.06.2024	श्रीनगर में आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	आईबीसी, 2016	आईवीएसबी
7	04.06.2024	एमसीए में संलग्न 2022 बैच के सहायक सचिवों का अभिविन्यास कार्यक्रम	आईबीसी, 2016	–

क्र.सं	दिनांक	विवरण	विषय	के सौजन्य से
8	12.07.2024–13.07.2024	इन्टर्नेशनल कंवेंशन रिसोल्व–2024	मूल्यांकन और शोधन अक्षमता	आईसीएआई
9	06.09.2024	विद्युत क्षेत्र पर आईबीसी के प्रभाव पर सत्र	अंतर्दृष्टिः विद्युत क्षेत्र पर आईबीसी के प्रभाव की खोज	आईआईसीए और एफओआईआर
10	07.09.2024–08.09.2024	वित्त, अर्थशास्त्र, बैंकिंग और शोधन अक्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	वित्त, अर्थशास्त्र, बैंकिंग और शोधन अक्षमता	एनएलयू, ओडिशा
11	17.09.2024	आईपी कॉन्क्लेव	आईबीसी के अधीन नियामक ढांचे में सुधार और आईपी/आईपीई के सामने चुनौतियाँ	आईआईआईपी आईसीएआई
12	25.09.2024	सम्मेलन	एमएसएमई लचीलापनः नेविगेट करना आईबीसी परिदृश्य	आईबीबीआई और सिडबी
13	18.10.2024	मूल्यांकन दिवस कार्यक्रम	आईबीसी के अंतर्गत मूल्यांकन	आईओवी आरवीएफ और आईसीएआई आरवीओ
14	05.12.2024–07.12.2024	55वीं भारतीय मूल्यांकक कांग्रेस–आईओवीआरवीएफ	मूल्यांककों का सशक्तिकरणः सत्यनिष्ठा बनाए रखना	आईओवी आरवीएफ

शैक्षणिक जुड़ाव

सारणी 22: 2024–25 में आयोजित निबंध प्रतियोगिताएँ

क्रम संख्या.	माह	संस्थान का नाम	विषय
1	सितंबर 2024	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	आईबीसी का डिजिटलीकरण पारिस्थितिकी तंत्रः पक्ष और विपक्ष

सारणी 23: 2024–25 में आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिताएँ

क्रमांक	दिनांक	सहयोगी संस्था	मूट प्रस्ताव का विषय
1	27.09.2024–29.09.2024	एनएलयू दिल्ली	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016
2	21.02.2025–23.02.2025	पीईएस विश्वविद्यालय, बैंगलोर	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016

आईबीसी पर पाँचवां राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज

6.5 आईबीबीआई ने माईगव और बीएसई इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड के सहयोग से देश भर के विभिन्न हितधारकों के बीच इस संहिता के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने के लिए 'दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर पाँचवां राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज आयोजित किया। यह क्विज 1 अगस्त, 2024 से 31 अगस्त, 2024 तक खुला था। इसे देश भर के प्रतिभागियों से भारी प्रतिक्रिया मिली। श्री मयंक राठी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे और उन्हें 1 अक्टूबर, 2024 को प्रधानमंत्री संग्रहालय, नई दिल्ली में आईबीबीआई के वार्षिक दिवस समारोह में स्वर्ण पदक और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

हितधारकों के लिए सम्मेलन

समाधान आवेदकों के लिए सम्मेलन

6.6 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 5 अगस्त 2024 को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'समाधान आवेदकों के लिए सम्मेलन' का आयोजन किया। आईबीबीआई ने समाधान आवेदकों के साथ बातचीत करने, उनकी चिंताओं का समाधान करने और मौजूदा दिवाला एवं शोधन अक्षमता ढांचे को मज़बूत बनाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया। अपने उद्घाटन भाषण में, आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने दिवाला समाधान प्रक्रिया में समाधान आवेदकों के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने समाधान आवेदकों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए इस सम्मेलन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और प्रतिभागियों को मौजूदा दिवाला समाधान ढांचे को बेहतर बनाने और मज़बूत बनाने हेतु अपनी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

आईपी सम्मेलन

6.7 भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 27 जनवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में दिवाला व्यावसायिकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया ताकि उभरती चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के अवसरों का पता लगाया जा सके। अपने स्वागत भाषण में, आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के सकारात्मक परिणामों पर प्रकाश डाला, लेकिन साथ ही आईबीसी के अधीन भेजे जाने वाले मामलों की संख्या में कमी और एआरसी को ऋण के बड़े पैमाने पर हस्तांतरण पर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने प्रतिभागियों को दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के अधीन समाधानों को बढ़ाने के लिए रचनात्मक समाधान प्रस्तावित करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. ए. के. मिश्रा, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) और अध्यक्ष, आईआईआईपी (आईसीएआई) और श्री पी. के. मल्होत्रा, पूर्व केंद्रीय सचिव (विधि एवं न्याय), भारत सरकार और अध्यक्ष, आईसीएसआई (आईआईपी) ने दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों (आईपीए) की ओर से आईपी और दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं (आईपीई) के सुझावों पर एक प्रस्तुति दी।

रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए सम्मेलन

6.8 भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 13 फरवरी 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और हितधारकों ने मूल्यांकन हेतु नीति एवं नियामक ढाँचे तथा इस क्षेत्र में उभरते रुझानों पर चर्चा की। आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य श्री जयंती प्रसाद ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने सम्मेलन की पृष्ठभूमि निर्धारित की और इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन में आईसीएमएआई आरवीओ के एमडी डॉ. एस. के. गुप्ता; आईओवी आरवीएफ के एमडी श्री विनय गोयल; और आईसीएआई आरवीओ की सीईओ सुश्री सारिका सिंघल ने प्रस्तुतियाँ दीं, जिन्होंने मूल्यांकन हेतु नीति एवं नियामक ढाँचे पर अपने सुझाव साझा किए।

क्षमता निर्माण

6.9 आईबीबीआई आईपी अधिकारों के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार, प्रशिक्षण और गोलमेज बैठकों जैसी विभिन्न क्षमता निर्माण पहल करता है। मार्च 2025 तक, सारणी 24 में सूचीबद्ध 350 ऐसी पहलों का आयोजन किया गया है।

सारणी 24: मार्च 2025 के अंत तक आईपी व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण पहल

वर्ष	कार्यशालाएँ	वेबिनार	गोलमेज सम्मेलन	प्रशिक्षण	कुल
2016 – 17	1	–	8	–	9
2017 – 18	6	–	44	–	50
2018 – 19	7	–	22	–	29
2019 – 20	15	1	22	–	38
2020 – 21	9	29	18	2	58
2021 – 22	14	21	12	3	50
2022 – 23	18	6	6	6	36
2023 – 24	29	17	5	1	52
2024 – 25	22	3	2	1	28
कुल	**121**	**77**	**139**	**13**	**350**

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.10 आईबीबीआई ने 8 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2024 तक 2022 बैच के भारतीय कॉर्पोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई; श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई; श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम, आईबीबीआई और श्री संतोष कुमार शुक्ला, ईडी, आईबीबीआई ने प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। सत्रों में आईबीबीआई की भूमिका, दिवाला सेवाओं के व्यावसायीकरण और आईबीसी के अंतर्गत प्रक्रियाओं की बारीकियों का सामान्य अवलोकन प्रस्तुत किया गया। विभिन्न प्रक्रियाओं, जैसे कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन, फास्ट ट्रैक समाधान प्रक्रिया, व्यक्तिगत दिवाला और व्यक्तिगत शोधन अक्षमता, से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को समझाने के लिए व्यावहारिक केस स्टडी का उपयोग किया गया। कार्यक्रम का समापन 10 अप्रैल, 2024 को आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री संतोष कुमार शुक्ला द्वारा दिए गए समापन भाषण के साथ हुआ।

सीसीआईटी–2, नई दिल्ली कार्यालय में तैनात अधिकारियों के लिए एनसीएलटी/आईटी के मुद्दों पर क्षमता निर्माण कार्यशाला

6.11 भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया। 6 नवंबर, 2024 को सीसीआईटी–2, नई दिल्ली में तैनात अधिकारियों के लिए एक गहन क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता, परिचालन दक्षता और क्षेत्र–विशिष्ट ज्ञान को बढ़ाना और शोधन अक्षमता एवं शोधन अक्षमता प्रक्रियाओं की गहरी समझ को बढ़ावा देना था। यह पहल आईबीबीआई की अपने हितधारकों के बीच उत्कृष्टता और निरंतर सीखने को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एमएसएमई के शोधन अक्षमता पर कार्यशाला

6.12 आईबीबीआई ने विश्व बैंक के सहयोग से 11 मार्च, 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एमएसएमई के शोधन अक्षमता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में एमएसएमई के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया और पीपीआईआरपी जैसे सुधारों पर चर्चा की गई, जिसका उद्देश्य इन उद्यमों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाना है। आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि सुश्री एंटोनिया पी. मेनेजेस (विश्व बैंक), श्री स्टीवन कार्गमैन (कार्गमैन एसोसिएट्स) और श्री जोसेफ स्पूनर (एलएसई लॉ स्कूल) जैसे विशेषज्ञों ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और पीपीआईआरपी की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुझाव दिए। यह कार्यशाला आईबीबीआई और वित्त मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और हितधारकों के बीच संवाद के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, जिसमें भारत में एमएसएमई शोधन अक्षमता समाधान को मजबूत करने के लिए विधिक रूपरेखा और कार्यनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

उद्यम समूह शोधन अक्षमता और सीमा पार शोधन अक्षमता पर कार्यशाला

6.13 12 मार्च, 2025 को, आईबीबीआई और विश्व बैंक ने संयुक्त रूप से नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में उद्यम समूह शोधन अक्षमता और सीमा पार शोधन अक्षमता पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय रूपरेखा और कार्यनीतियों का पता लगाने के लिए आईपी, कानूनी विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं सहित 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम श्री संदीप गर्ग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि औपचारिक कानून के अभाव के बावजूद, न्यायिक विवेकाधिकार के माध्यम से भारत में सीमा पार शोधन अक्षमता मामलों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कैसे किया जाता है। प्रमुख सत्रों में हिल्को ग्लोबल के श्री जेम्स स्प्रेरेगेन के नेतृत्व में यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कानून पर चर्चा और एजेडबी एंड पार्टनर्स के श्री बहराम वकील के व्यावहारिक दृष्टिकोण शामिल थे। विश्व बैंक की सुश्री एंटोनिया पी. मेनेजेस ने प्रमुख अंतर्दृष्टियों के सारांश के साथ कार्यक्रम का समापन किया।

आईबीबीआई ने ऋणदाताओं की समिति की एक कार्यशाला का आयोजन किया

6.14 भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (वित्तीय ऋणदाताओं) के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला शुरू की थी, ताकि संहिता के अधीन ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की भूमिका और उससे अपेक्षाओं की समझ विकसित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीओसी अपने वैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन अत्यंत सावधानी और तत्परता से करे। इस वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के साथ ऐसी कुल 7 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

आईबीबीआई–एनईएसएल संगोष्ठी

6.15 आईबीसी पर तीन दिवसीय आईबीबीआई–एनईएसएल संगोष्ठी 29–31 मार्च, 2025 को अहमदाबाद में आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में एमसीए सचिव सुश्री दीप्ति गौर मुखर्जी, मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, एनसीएलटी के माननीय अध्यक्ष, श्री एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग और आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने भाग लिया। संगोष्ठी में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। संगोष्ठी में धारा 7 और 9 के मामलों की स्वीकृति, समाधान योजनाओं का अनुमोदन, रियल एस्टेट योजना अनुमोदन मामलों की त्वरित सुनवाई, परिसमापन कार्यवाही, पीयूएफई आवेदन, धारा 94 और 95 से संबंधित मुद्दे, आईबीसी मामलों में तेजी लाने में बैंकों की भूमिका, एनसीएलटी कार्यवाही में एआई का उपयोग और संहिता के कार्यान्वयन की आगे की दिशा सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। विचारमंथन सत्रों में बहुमूल्य ज्ञान का आदान–प्रदान हुआ तथा दिवाला मामलों के प्रभावी समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की गई।

च. 4 अनुसंधान

6.16 सारणी 25 में 2024–25 के दौरान बोर्ड की प्रमुख अनुसंधान और प्रकाशन गतिविधियां प्रस्तुत की गई हैं।

सारणी 25: 2024–25 के दौरान अनुसंधान पहल और प्रकाशन

क्रम	माह में प्रकाशित	व्यष्टियां
1.	अक्तूबर, 2024	वार्षिक प्रकाशन 2024: आईबीसी के आठ वर्ष: शोध एवं विश्लेषण
2.	अगस्त, 2024	भारतीय दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और अग्रिम पथ
3.	संबंधित तिमाहियाँ	वर्ष के दौरान चार तिमाहियों के लिए त्रैमासिक समाचार पत्र

दिवाला और शोधन अक्षमता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन

6.17 आईबीबीआई ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) के सहयोग से 2–3 जुलाई, 2024 को आईएसबी हैदराबाद में दिवाला और शोधन अक्षमता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर ने किया। मुख्य वक्ता, इन्सॉल्वेंसी सर्विसेज यूके के पॉलिसी हेड, श्री पॉल बैनिस्टर ने श्रोताओं को संबोधित किया। सम्मेलन में तनावग्रस्त परिसंपत्ति निवेश और आईबीसी को तेजी से आगे बढ़ाने पर दो पैनल चर्चाएँ शामिल थीं, और 26 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र का पुरस्कार "ऋणदाता अधिकार सुधार का संक्रामक जोखिम पर प्रभाव" को दिया गया। एक प्रकाशन *भारतीय दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और अग्रिम पथ* का भी विमोचन किया गया।

आईबीबीआई – आईएनएसओएल इंडिया दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

6.18 आईबीबीआई ने आईएनएसओएल इंडिया के सहयोग से 7 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में 'दिवाला समाधान: विकास और वैश्विक परिप्रेक्ष्य' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 का आयोजन किया। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार; आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल और आईएनएसओएल इंटरनेशनल की तकनीकी निदेशक डॉ. सोनाली अबेरत्ने ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया। एसबीआई के प्रबंध निदेशक श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह ने मुख्य भाषण दिया। आईएनएसओएल इंडिया के अध्यक्ष श्री दिनकर वेंकटसुब्रमण्यन ने सम्मेलन में स्वागत भाषण दिया। आईबीबीआई के डब्ल्यूटीएम श्री जयंती प्रसाद ने उद्घाटन सत्र के सम्मानित अतिथियों का अभिनंदन किया। आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक (ईडी) श्री कुलवंत सिंह ने सभी प्रतिभागियों और हितधारकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्मेलन का समापन किया।

आईआईएम अहमदाबाद में दिवाला और शोधन अक्षमता पर वार्षिक शोध कार्यशाला

6.19 आईआईएम अहमदाबाद ने आईबीबीआई के सहयोग से 1–2 मार्च, 2025 को आईआईएम अहमदाबाद परिसर में दिवाला और शोधन अक्षमता पर दूसरी वार्षिक शोध कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य भारत में दिवाला पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आईपी के लिए चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना और वैश्विक प्रथाओं से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना था। माननीय मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, अध्यक्ष, एनसीएलटी ने उद्घाटन भाषण दिया और आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया। दो दिवसीय कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर 21 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए, साथ ही "शोधन अक्षमता व्यवसाय का आकलन" विषय पर एक पैनल चर्चा भी हुई। कार्यशाला में आईपी अधिकारों (आई.पी.), शिक्षा जगत के सदस्यों, विधि विशेषज्ञों, सेवा प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और अन्य व्यावसायिकों सहित बड़ी संख्या में आईबीसी पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों ने भाग लिया।

छ परिणामों का विश्लेषण

7.1 आरपी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग करते हुए, दिवाला कार्यवाही के परिणामों के आधार पर, 2024–25 के दौरान प्रमुख परिणाम इस रिपोर्ट के खंड ख में प्रस्तुत किए गए हैं।

उभरती न्यायप्रणाली

7.2 न्यायपालिका ने कई वैचारिक और विवादास्पद मुद्दों को सुलझाया है, और कई ऐतिहासिक आदेश और निर्णय दिए हैं, जो यह स्पष्ट करते हैं कि संहिता के अधीन भविष्य के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं। सारणी 26 में 2024–25 के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय प्रस्तुत किए गए हैं।

सारणी 26: उभरती न्यायप्रणाली का सारांश, 2024–25

क्रम सं	निर्णय	उद्धरण	मंच
	उच्च न्यायालय सीआईआरपी में मध्यवर्तन नहीं करेंगे		
1.	पहली सुनवाई के दौरान सीओसी और अन्य को नोटिस दिए बिना स्थगन देना और सीआईआरपी कार्यवाही को स्थगित करना अनुच्छेद 226 के अधीन उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और ऐसा निर्णय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के प्रावधानों में निर्धारित कानून के अनुशासन का उल्लंघन होगा।	केएसके महानदी पावर कंपनी लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 11086/2024)	**एससी**
2.	उच्च न्यायालयों में निहित पर्यवेक्षी और न्यायिक समीक्षा शक्तियाँ महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा उपायों का प्रतिनिधित्व करती हैं, फिर भी उनके प्रयोग के लिए कठोर जाँच और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। उच्च न्यायालय संहिता के अधीन सीआईआरपी कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि इसमें पर्याप्त जाँच और संतुलन, उपचारात्मक रास्ते और अपील मौजूद हैं।	मोहम्मद एंटरप्राइजेज (तंजानिया) लिमिटेड बनाम फारूक अली खान एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 48/2025)	**एससी**
	यदि क़ानून में कुछ नहीं कहा गया है या अस्पष्टता है तो अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग होगा		
3.	एनसीएलएटी नियमों के नियम 11 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग संहिता के प्रावधानों के अधीन प्रदत्त स्थापित कानूनी ढाँचे के विरुद्ध जाने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसी शक्तियों का प्रयोग उन मामलों में किया जा सकता है जहाँ वैधानिक प्रावधान मौन या अस्पष्ट हैं।	ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी बनाम बायजू रवींद्रन एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 9986/2024, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 21023/2024 के साथ)	**एससी**
	संहिता के अंतर्गत विशेष न्यायालयों का क्षेत्राधिकार		
4.	संहिता के अंतर्गत अपराधों के लिए सभी शिकायतें, दंड की मात्रा पर ध्यान दिए बिना, सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से युक्त विशेष न्यायालय के समक्ष दायर की जानी चाहिए।	भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड बनाम सत्यनारायण बंकटलाल मालू एवं अन्य। (आपराधिक अपील संख्या 3851/2023)	**एससी**
	एकल सदस्यीय डीसी द्वारा एससीएन का निस्तारण		
5.	आईबीसी न तो स्पष्ट रूप से एक सदस्यीय अनुशासन समिति की अनुमति देता है और न ही इसकी संभावना को प्रतिबंधित करता है। आईबीसी, 2016 की धारा 220 (1) में प्रयुक्त 'समिति' शब्द की व्याख्या एक सदस्यीय समिति को सम्मिलित करने के रूप में की जा सकती है।	सरिश मितल एवं अन्य बनाम एनसीएलटी एवं अन्य (सीडब्ल्यू.पी.संख्या 19562/2023 एवं सीडब्ल्यू. पी. संख्या 8750/2023)	**पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालय**
6.	संहिता की धारा 220 की उपधारा (1) का परंतुक यह संकेत नहीं करता है कि समिति में हमेशा एक से अधिक सदस्य होने चाहिए।	संदीप कुमार भट्ट बनाम भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) 15588/2023, सीएम एपीपीएल. 62380/2023 और 65667/2023)	**दिल्ली उच्च न्यायालय**

7.	संहिता की धारा 220 (1) के परंतुक में "सदस्य" शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में किया गया है, वह इसके बहुवचन अर्थ तक ही सीमित नहीं है।	रोहित जे. वोरा बनाम भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (डब्ल्यू.पी. (लॉजिंग) संख्या 20352/2023)	**बॉम्बे उच्च न्यायालय**
	एए का क्षेत्राधिकार		
	सीओसी के आचरण की अनदेखी करना		
8.	एए के पास सीओसी के आचरण को विनियमित करने और समाधान योजना पर निर्णय देने का क्षेत्राधिकार है।	गेटवे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड बनाम भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य (डब्ल्यू.पी. (सी) 13278/2024 एवं सीएम एपीएल. 55477/2024)	**दिल्ली उच्च न्यायालय**
	पीपीआईआरपी अवधि के लिए विस्तार		
9.	एए को संकटग्रस्त एमएसएमई के लाभ के लिए उपयुक्त मामलों में पीपीआईआरपी अवधि को 120 दिनों से आगे बढ़ाने का विवेकाधिकार है।	विकास गौतमचंद जैन, केथोस टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के आरपी (सीए (एटी) (इंस.) संख्या 1173/2024)	**एनसीएलएटी**
	विकास अधिकारों से निपटने के लिए		
10.	एनसीएलएटी ने माना कि ऐसा नहीं है कि एए के पास विकास अधिकारों के प्रश्न पर निर्णय लेने और यह तय करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है कि संपत्तियां सीआईआरपी का हिस्सा हैं या नहीं।	के.एच. खान बनाम आर्ट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (सीए (एटी) (इंस.) संख्या 1116 एवं 1117/2024)	**एनसीएलएटी**
	सीडी की संपत्ति/अपील दायर करने के लिए सशर्त जमा का उपचार		
11.	न्यायालय में जमा की गई धनराशि सीडी की संपत्ति है, जिसका कब्जा न्यायालय के हाथ में है।	सिटी नेटवर्क्स लिमिटेड बनाम राजीव सूरी (वाद संख्या 2295/2002 में अपील संख्या 597/2016 में अंतरिम आवेदन (दर्ज) संख्या 31055/2024)	**बॉम्बे उच्च न्यायालय**
	आईबीसी के अधीन भविष्य निधि का निपटान		
12.	ऐसे बकाया के भुगतान में कमी की स्थिति में, इसे कॉर्पोरेट देनदार की अन्य परिसंपत्तियों के निपटान द्वारा पूरा किया जाएगा।	ट्रूविज़री इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं अन्य (सीए (एटी) इंस. संख्या 580/2023)	**एनसीएलएटी**
	समाधान योजना		
13.	समाधान योजना में दिए गए अनुसार विद्युत विभाग के पूर्व–सीआईआरपी बकाया का भुगतान सर्वोपरि है और इसे केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पहले ही स्वेच्छा से भुगतान कर दिया गया था।	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम मेसर्स शिरडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं अन्य (सीए (एटी) (इंस.) संख्या 799, 803 और 832, 2024)	**एनसीएलएटी**
	लोक सेवक के रूप में आरपी		
14.	भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत आरपी को स्पष्ट रूप से लोक सेवक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। सार्वजनिक धन और वित्तीय संस्थानों से जुड़े होने के कारण, आरपी के कर्तव्य स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक हैं। इसलिए, आरपी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक लोक सेवक है।	संजय कुमार अग्रवाल बनाम भारत संघ, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा (आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 728 2023)	**झारखंड उच्च न्यायालय**
15.	परिसमापन के दौरान सीआईआरपी से पूर्व कर बकाया के लिए सीडी की संपत्ति पर प्रभार का सृजन, संहिता की धारा 33 (5) का उल्लंघन करता है।	सु–कैम पावर सिस्टम लिमिटेड एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 422/2024)	**हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय**

संहिता का अधिभावी प्रभाव			
16.	आईबीसी, खान खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 को अधिभावी बनाता है और संबंधित नियमों के अधीन किए गए दावे वार्षिक खनन समापन शुल्क का भुगतान न करने पर कोई सुरक्षा हित उत्पन्न नहीं करते हैं।	टॉपवर्थ ऊर्जा एंड मेटल्स लिमिटेड के समाधान व्यावसायिक एविल मेनेजेस बनाम कोयला मंत्रालय अपने सचिव एवं अन्य के माध्यम से (सीए (एटी) (इंस) संख्या 944 / 2024)	**एनसीएलएटी**
17.	आईबीसी सरफेसी अधिनियम के असंगत प्रावधानों को अधिभावी बनाता है और वित्तीय सेवा प्राधिकरण को अंतरिम स्थगन के दौरान सरफेसी कार्रवाई जारी रखने से रोक दिया गया है।	इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम पवन कपूर (सीए (एटी) (इंस) संख्या 192 / 2021)	**एनसीएलएटी**
विकास अधिकार			
18.	सीडी के पक्ष में बनाए गए विकास अधिकार, आईबीसी, 2016 की धारा 3 (27) के अर्थ में "संपत्ति" हैं।	के.एच. खान बनाम आर्ट कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (सीए (एटी) (इंस) संख्या 1116 एवं 1117 / 2024)	**एनसीएलएटी**
चालू व्यवसाय के रूप में बिक्री को प्राथमिकता			
19.	परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के अध्याय VI के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 (1) के अधीन समझौता योजना का सहारा लेने के बजाय, सीडी की बिक्री को एक चालू व्यवसाय के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी।	नरोत्तमका ट्रेड एंड व्यापार प्राइवेट लिमिटेड बनाम एसपीपी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी लिक्विडेटर कमाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सीए (एटी) (इंस) संख्या 305 / 2024)	**एनसीएलएटी**
लेनदारों के दावे			
20.	सीडी की वेबसाइटों और आईबीबीआई पोर्टल पर लेनदारों के दावों की स्थिति उनके दावे की अस्वीकृति के संबंध में कथित ज्ञान और रचनात्मक सूचना के बराबर है।	आयकर आयुक्त (टीडीएस–1), मुंबई बनाम श्री सुंदरेश भट एवं अन्य (सीए (एटी) (इंस) संख्या 575 / 2023)	**एनसीएलएटी**
आईबीसी के अधीन आकलन कार्यवाही			
21.	सीडी के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू होने के बाद वैधानिक निकायों द्वारा आकलन कार्यवाही नहीं की जा सकती। हालाँकि, उक्त कार्यवाही परिसमापन प्रक्रिया के दौरान जारी रह सकती है।	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय बनाम जयकुमार पेसुमल अरलानी, मेसर्स डिसेंट लैमिनेट्स प्राइवेट लिमिटेड के आरपी (सीए (एटी) (इंस) संख्या 1062 / 2024)	**एनसीएलएटी**
12ए और परिसमापन			
22.	परिसमापन योजना और परिसमापन विनियम धारा 12ए के अंतर्गत किसी भी वापसी पर विचार नहीं करते हैं।	आशा चोपड़ा एवं अन्य बनाम हिंद मोटर्स इंडिया लिमिटेड एवं अन्य (सीए आईए सं. 5180–5183 / 2024 (एटी) (इंस) संख्या 1425–1428 / 2024 में)	**एनसीएलएटी**

ज संहिता का प्रभाव

8.1 इस खंड में सेवा प्रदाताओं और प्रक्रियाओं के संबंध में संहिता के कार्यान्वयन के परिणामों, कंपनियों और हितधारकों पर प्रक्रियाओं के परिणामों और दिवाला एवं शोधन अक्षमता क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों, जैसे लेनदारों (वित्तीय और परिचालन), सीडीज़ और समग्र अर्थव्यवस्था पर इसके दूरगामी प्रभाव प्रस्तुत किए गए हैं।

8.2 संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं के व्यापक परिणाम नीचे दिए गए हैं:

(क) **सीडी (सीआईआरपी) की स्थिति** – संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकटग्रस्त सीडी के जीवन को बचाना है। संहिता ने मार्च 2025 तक समाधान योजनाओं के माध्यम से 1194 सीडी, अपील या समीक्षा या निपटान के माध्यम से 1276 और वापसी के माध्यम से 1154 सीडी को बचाया है। इसने 2758 सीडी को परिसमापन के लिए संदर्भित किया है।

(ख) **समाधान** – पिछले तीन वर्षों में आईबीसी के अंतर्गत एनसीएलटी द्वारा समाधान योजनाओं के अनुमोदन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, जो दिवाला व्यवसायों के पुनर्गठन में विधिक रूपरेखा की प्रभावशीलता को दर्शाता है (नीचे चित्र देखें)। पिछले आठ वर्षों में 1194 समाधान योजनाओं में से 60% (708) समाधान पिछले 3 वर्षों में किए गए।

चित्र 1: आईबीसी के अंतर्गत समाधानों की संख्या

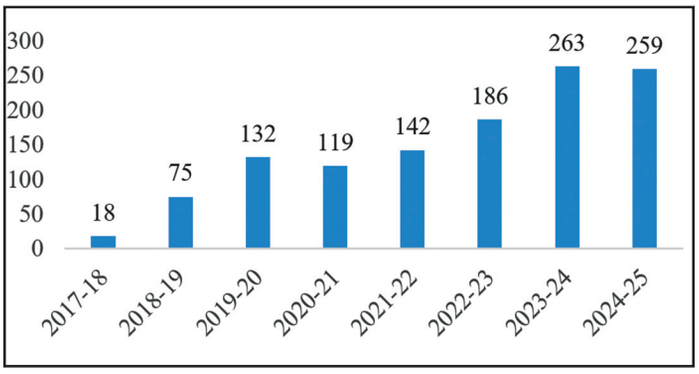

(ग) **लेनदारों द्वारा वसूली**– लेनदारों ने मार्च, 2025 तक समाधान योजनाओं के अंतर्गत 3.89 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है। यह वसूली स्वीकृत दावों के मुकाबले 32.8% से अधिक और परिसमापन मूल्य के मुकाबले 170.1% से अधिक है। समाधान योजनाओं से औसतन सीडी के उचित मूल्य का 93.41% प्राप्त हो रहा है। मार्च, 2025 तक, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ 1374 सीडी का पूर्णतः परिसमापन कर दिया गया है। 1374 सीडी में से 878 बंद कर दी गई हैं। बंद परिसमापनों में, लेनदारों को 9330 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो परिसमापन मूल्य के मुकाबले लगभग 90% प्राप्ति है।

(घ) **निष्क्रिय सीडी का पुनर्गठन/परिसमापन**– लगभग 40% सीआईआरपी (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 1173 में से 470), जिनके समाधान योजनाएं प्राप्त हुईं, पहले बीआईएफआर के पास थीं और/या निष्क्रिय थीं। इन सीडी में, दावेदारों ने अपने स्वीकृत दावों का 19.03% और परिसमापन मूल्य का 151.92% प्राप्त किया है। परिसमापन में समाप्त होने वाले लगभग 78% सीआईआरपी (जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 2704 में से 2107) पहले बीआईएफआर के पास थीं और/या निष्क्रिय थीं। इनमें से अधिकांश सीडी का आर्थिक मूल्य सीआईआरपी में शामिल होने से पहले ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। इन सीडी की परिसंपत्तियों का औसत मूल्य बकाया ऋण राशि का 6% था।

(ङ) **व्यवहारिक परिवर्तन**– एक संकटग्रस्त परिसंपत्ति का एक जीवन चक्र होता है। यदि संकट का समाधान नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्य समय के साथ धीरे–धीरे कम होता जाता है। संहिता के इस विश्वसनीय खतरे, कि सीडी का स्वामित्व बदल सकता है, ने देनदारों के व्यवहार को बदल दिया है। हजारों देनदार संकट के शुरुआती चरणों में ही संकट का समाधान कर रहे हैं। वे तब समाधान कर रहे हैं जब चूक आसन्न हो, पुनःभुगतान के लिए नोटिस मिलने पर लेकिन आवेदन दाखिल करने से पहले, आवेदन दाखिल करने के बाद लेकिन उसके स्वीकार होने से पहले, और आवेदन स्वीकार होने के बाद भी, और समाधान प्रक्रिया के परिणामों से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश कंपनियों को इन्हीं चरणों में बचाया जाता है। 13.94 लाख करोड़ रुपये मूल्य के अंतर्निहित चूक वाले लगभग 30, 745 मामलों का मार्च, 2025 तक (एनसीएलटी डेटा के अनुसार) प्रवेश–पूर्व निपटारा किया जा चुका है।

(च) **समाधान और परिसमापन आदेशों का अनुपात**– पिछले कुछ वर्षों में, अधिकाधिक कंपनियों का समाधान आईबीसी के अंतर्गत किया जा रहा है और परिसमापन की संख्या में कमी आ रही है। यह बात नीचे चित्र 2 में दिखाए गए मामलों की संख्या के बेहतर अनुपात में दिखती है, जिसमें समाधान होता है, बनाम उन मामलों में जिनमें परिसमापन का आदेश दिया जाता है।

(छ) **समय–सीमा**– संहिता विभिन्न प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करती है। 1194 सीआईआरपी, जिनके लिए मार्च, 2025 के अंत तक समाधान योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं, प्रक्रिया पूरी होने में औसतन 597 दिन लगे (एएद्वारा निकाले गए समय को छोड़कर), (इस पर परिसमापन मूल्य का 1.22% और समाधान मूल्य का 0.

77% औसत लागत आई)। इसी प्रकार, 2758 सीआईआरपी, जिनके लिए परिसमापन आदेश दिए गए, को पूरा होने में औसतन 508 दिन लगे। इसके अतिरिक्त, 1374 परिसमापन प्रक्रियाएँ, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके पूरी हुईं, को पूरा होने में औसतन 646 दिन लगे। इसी प्रकार, 1704 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाएँ, जो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके पूरी हुईं, को पूरा होने में औसतन 401 दिन लगे।

चित्र 2: परिसमापन आदेशों के समाधान का अनुपात

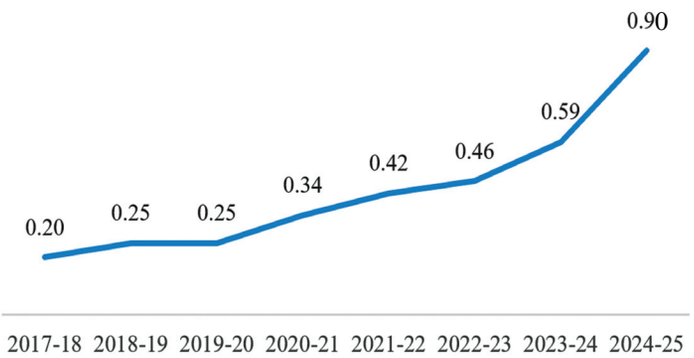

ऋण अनुशासन पर प्रभाव

8.3 भारतीय प्रबंध संस्थान, बैंगलोर (आईआईएमबी) द्वारा किए गए एक व्यापक अध्ययन द्वारा भी आईबीसी के ऋण अनुशासन पर प्रभाव की पुष्टि की गई है। इस अध्ययन में कारपोरेट ऋण खातों, सीआईआरपी, फर्म–स्तरीय वित्तीय आंकड़ों और एनपीए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

(क) अध्ययन में पाया गया है कि आईबीसी ने उधारकर्ताओं को निर्धारित ऋण भुगतान अनुसूचियों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अध्ययन में रुपये की राशि और खातों की संख्या, दोनों के संदर्भ में, 'अतिदेय' माने जाने वाले ऋण खातों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। इसी प्रकार, ऋण खातों के 'अतिदेय' श्रेणी से 'सामान्य' श्रेणी में संक्रमण का वार्षिक अनुपात बढ़ा है, जो कॉर्पोरेट्स की ऋण संस्कृति में सुधार के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यहाँ तक कि 'सामान्य' श्रेणी में संक्रमण से पहले एक ऋण खाते के 'अतिदेय' श्रेणी में रहने के दिनों की औसत संख्या भी 248–344 दिनों से घटकर 30–87 दिन हो गई है। इससे पता चलता है कि देनदार और लेनदार दोनों ही जल्द से जल्द बकाया राशि का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं।

(ख) अध्ययन से पता चलता है कि आईबीसी के बाद दबावग्रस्त फर्मों (गैर–संकटग्रस्त फर्मों की तुलना में) के लिए ऋण की लागत में 3% की कमी आई है, जो दबावग्रस्त फर्मों के लिए बेहतर ऋण वातावरण का संकेत देता है। अध्ययन के अनुसार, आईबीसी ने समाधान प्राप्त कंपनियों के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बढ़ाकर कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार किया है।

गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) पर प्रभाव

8.4 बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर जून 2025) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात में मार्च 2025 तक 12 वर्षों के निम्नतम स्तर 2.3% तक की गिरावट का संकेत देती है। आईबीसी ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा एनपीए की वसूली को बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्ष 2023–24 के लिए भारत में बैंकिंग के रुझान और प्रगति पर रिपोर्ट, जैसा कि 26 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था, इस बात पर प्रकाश डालती है कि एससीबी ने विभिन्न माध्यमों से 96,325 करोड़ रुपये की वसूली की है, जिसमें अकेले आईबीसी चैनल का योगदान 46,340 करोड़ रुपये है, जो कुल वसूली का 48. 1% है। आईबीसी वसूली का प्रमुख माध्यम बना रहा।

अन्य प्रणालीगत लाभ

8.5 जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 में उल्लेख किया गया है, आईबीसी के कुछ प्रणालीगत लाभ, जो कई माध्यमों से उपलब्ध होते हैं, जैसा कि शोध द्वारा सिद्ध किया गया है, नीचे वर्णित हैं:

(क) **फर्मों द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन:** शोध से पता चलता है कि भारत के दिवाला सुधार के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में मुद्रा बेमेल होने की संभावना कम हो गई है। बीआईएस शोध (2018) के अनुसार, नए दिवाला कानून के लागू होने से उन फर्मों के लिए मुद्रा जोखिम प्रबंधन की संभावना 13.7 प्रतिशत बढ़ गई, जिनमें मूल रूप से मुद्रा बेमेल का उच्च स्तर था। इस प्रकार, दिवाला कानून की उपस्थिति में फर्मों के लिए मुद्रा जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का प्रोत्साहन है।

(ख) **बॉन्ड क्रेडिट स्प्रेड में कमी:** सेनगुप्ता और वर्धन (2023) इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि आईबीसी ने वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 20 तक गैर–वित्तीय फर्मों द्वारा जारी बॉन्ड के लिए क्रेडिट स्प्रेड को वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 16 में वित्तीय फर्मों द्वारा जारी बॉन्ड की तुलना में कम कर दिया, खासकर जब क्रेडिट स्प्रेड के अन्य निर्गम–स्तरीय निर्धारकों पर विचार किया जाता है। यह एक उत्साहजनक विकास दर्शाता है और इस तथ्य को पुष्ट करता है कि भारतीय बाजार में बॉन्ड निवेशकों का विश्वास विकसित करने के लिए एक प्रभावी शोधन अक्षमता समाधान व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, बॉन्ड बाजार उच्च–रेटेड (एएए और एए) बॉन्ड की ओर झुका हुआ है, जो सभी जारी किए गए बॉन्डों का 85 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। प्रभावी दिवाला समाधान में निवेशकों का विश्वास कम–रेटेड बॉन्डों के लिए एक गहन और तरल बाजार विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

(ग) **निर्यात:** खान और चक्रवर्ती (2022), ने 2000 और 2020 के बीच 4,434 फर्मों के एक बड़े नमूने का अध्ययन किया और पाया कि भारत में निर्यातक फर्मों को दिवाला सुधार कानून से बेहतर ऋण प्राप्त करने और वित्तीय बाधाओं से बाहर निकलने में मदद करके लाभ हुआ है।

निष्कर्ष

8.6 संहिता ने ऋणदाता प्राप्ति के पारंपरिक मापदंड से कहीं आगे जाकर प्रभाव डाला है। एक मजबूत विधिक ढांचा स्थापित करके, आईबीसी ने ऋण बाजारों को मजबूत किया है, उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया है, और भारत के व्यापार सुगमता मानकों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इन सुधारों ने निवेश के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया है, जिससे अंततः आर्थिक वृद्धि और विकास को गति मिली है। आगे चलकर, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और हितधारक सहभागिता में सुधार लाने के लिए निरंतर उपाय किए जाने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि संहिता का प्रभाव और इसके अंतर्गत परिणाम और भी बेहतर होंगे।

झ बोर्ड का वित्तीय कार्य–निष्पादन

9.1 संहिता में अपेक्षा की जाती है कि आईबीबीआई उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखे और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करे। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि आईबीबीआई के खातों की लेखा–परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाएगी।

9.2 तदनुसार, केंद्र सरकार ने आईबीबीआई (वार्षिक लेखा विवरण का प्रारूप) नियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। आईबीबीआई ने इन नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के लिए अपने वार्षिक लेखा विवरण और तुलनपत्र तैयार किए और लेखा परीक्षा समिति तथा उसकी महालेखा परीक्षक (जीबी) द्वारा अनुमोदन के बाद, लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को भेज दी। सीएजी ने इन खातों का लेखा–परीक्षण किया और 11 नवंबर, 2025 को अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की ।

9.3 जबकि आईबीबीआई को वित्त वर्ष 2024–25 में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी, इसने वर्ष के दौरान 167.25 करोड़ रुपये का आंतरिक राजस्व जुटाया, जिसमें आईपीए/आईपी/आईयू जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रेषित शुल्क शामिल था। सारणी 27, में वर्ष 2024–25 के दौरान बोर्ड के वित्तीय कार्य–निष्पादन को पिछले वर्ष के संगत आंकड़ों के साथ दर्शाया गया है:

सारणी 27: वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए आय और व्यय विवरण

(राशि लाख रुपये में)

आय	2024–25	2023–24
अनुदान/सब्सिडी	–	1900.00
शुल्क/सदस्यता	16725.97	8431.23
निवेश से आय	–	–
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	–	–
अर्जित ब्याज	1393.29	449.25
अन्य आय	151.38	3.43
कुल (क)	**18270.64**	**10783.91**
व्यय		
स्थापना व्यय	1906.70	2060.13
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	1875.41	1484.94
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	–	–
ब्याज	–	–
मूल्यह्रास	149.71	129.61
कुल (ख)	**3931.82**	**3674.68**
व्यय से अधिक आय का शेष होना (क–ख)		
विशेष रिजर्व में अंतरण सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	**14338.82**	**7109.24**
शेष के अधिशेष (घाटा) होने के कारण इसे संचयी/पूंजीगत निधि में ले जाया गया	**14338.82**	**7109.24**

अ सांविधिक दायित्वों के साथ अनुपालन

10.1 बोर्ड सांविधि का सृजन है। इसके लिए क़ानून के उपबंधों के साथ–साथ अन्य लागू कानूनों का अनुपालन करना आवश्यक है। सारणी 28 बोर्ड द्वारा अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करती है।

सारणी 28: सांविधिक दायित्वों के अनुपालन का विवरण

क्र. सं.	संविधि	आवश्यक वैधानिक अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
1.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	**धारा 16 (2):**यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है, तो किसी आईपी को आईआरपी के रूप में नियुक्त किया जाएगा।	बोर्ड ने एए को आईपी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जाँच करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त किया जा सके। 2024–25 में एए से इस संबंध में बोर्ड को कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
2.		**धारा 16 (4):** बोर्ड, एए से संदर्भ प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर, उस आईपी के नाम की अनुशंसा करेगा जहाँ दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन ओसी द्वारा किया गया है और आईआरपी के लिए कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। बोर्ड का उल्लेख करते हुए, इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
3.		**धारा 22 (4):**बोर्ड सीओसी द्वारा प्रस्तावित आरपी के नाम की पुष्टि करेगा।	बोर्ड ने एए को किसी आईपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब समाप्त किया जा सके है। इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
4.		**धारा 34 (6):** बोर्ड एए के निदेश के दस दिनों के भीतर, परिसमापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आईपी के नाम का प्रस्ताव करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए एए द्वारा सीधे बोर्ड को संदर्भित किए बिना क्रमशः 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
5.		**धारा 97 (2):** बोर्ड, एए द्वारा निर्देश प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित समाधान व्यावसायिक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने एए को किसी आईपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे देरी समाप्त हो जाती है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2024–25 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
6.		**धारा 97 (4):** बोर्ड, निर्देश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर, किसी व्यक्ति की दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए एक आरपी को नामित करेगा, जहाँ धारा 94 या 95 के अंतर्गत आवेदन देनदार या लेनदार द्वारा, जैसा भी मामला हो, दायर किया जाता है, न कि आरपी के माध्यम से।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन, आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए एए द्वारा क्रमशः 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2024–25 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
7.		**धारा 98 (3):बोर्ड,** आरपी के प्रतिस्थापन के लिए धारा 98 (2) के अधीन एए से संदर्भ प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर एक आरपी के नाम की अनुशंसा करेगा, जिसके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन, आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए एए द्वारा क्रमशः 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान बोर्ड को संदर्भित किए बिना सीधे विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2024–25 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र. सं.	संविधि	आवश्यक वैधानिक अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
8.		**धारा 125 (2):** बोर्ड, एए द्वारा निर्देश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पुष्टि करेगा कि प्रस्तावित बीटी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है या नहीं।	बोर्ड ने एए को किसी आईपी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो, की स्थिति की जांच करने के लिए एक ऑनलाइन सुविधा प्रदान की है, जिससे विलंब को समाप्त किया जा सके। इस संबंध में बोर्ड को एए से 2024–25 में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
9.		**धारा 125 (4):** बोर्ड धारा 125 (3) के अधीन एए के निर्देश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर उन मामलों में बीटी को नामित करेगा जहां देनदार या लेनदार द्वारा बीटी प्रस्तावित नहीं किया गया है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा बोर्ड को संदर्भित किए बिना, सीधे 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
10.		**धारा 146 (3):** बोर्ड, बीटी के त्यागपत्र देने पर धारा 146 (2) के अधीन एए के निर्देश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में किसी अन्य बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें एए द्वारा बोर्ड को संदर्भित किए बिना, सीधे 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
11.		**धारा 147 (3):** बोर्ड, त्यागपत्र के अलावा किसी अन्य कारण से रिक्ति होने पर, धारा 147 (2) के अधीन एए के निर्देश के दस दिनों के भीतर प्रतिस्थापन के रूप में किसी बीटी की अनुशंसा करेगा।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा सीधे 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। 2024–25 में एए से बोर्ड को इस संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
12.		**दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8 (2):** बोर्ड आईपी का एक पैनल एए से साझा कर सकता है, जिन्हें धारा 97 (4) और धारा 98 (3) के प्रयोजनों के लिए आरपी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा सीधे 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। इस संबंध में बोर्ड को 2024–25 में एए से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
13.		**दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत प्रतिभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया हेतु न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन) नियम, 2019 का नियम 8 (2):** बोर्ड संहिता की धारा 125 (4) और धारा 146 (3) और धारा 147 (3) के प्रयोजनों के लिए शोधन अक्षमता पेशेवरों का एक पैनल, जिन्हें बीटी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, एए के साथ साझा कर सकता है।	बोर्ड ने प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अधीन आईपी के दो पैनल तैयार और साझा किए हैं, जिन्हें बोर्ड को संदर्भित किए बिना, एए द्वारा सीधे क्रमशः 1 जुलाई, 2024 – 31 दिसंबर, 2024 और 1 जनवरी, 2025 – 30 जून, 2025 के दौरान नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है। 2024–25 में एए से बोर्ड को इस संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।
14.		**आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 207:** आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को यह समझाने का अवसर देने के बाद निरस्त किया जा सकता है कि आवेदन क्यों स्वीकार किया जाना चाहिए।	बोर्ड ने 2024–25 में आईपी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी भी आवेदन को निरस्त नहीं किया है।

क्र. सं.	संविधि	आवश्यक वैधानिक अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
15.		**आईबीबीआई (निरीक्षण और अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ धारा 217:** बोर्ड शिकायतें प्राप्त करेगा और विनियमों के अनुसार उनका निपटान करेगा।	बोर्ड को वर्ष 2024–25 के दौरान 903 शिकायतें और परिवाद प्राप्त हुए और वर्ष के दौरान 895 शिकायतों और परिवादों का निपटारा किया गया। शेष शिकायतों की जाँच की जा रही है और उनका निपटारा किया जा रहा है।
16.		**आईबीबीआई (निरीक्षण एवं अन्वेषण) विनियम, 2017 के साथ पठित धारा 218:** बोर्ड संहिता के किसी भी प्रावधान या बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों या विनियमों या जारी किए गए निर्देशों के कथित उल्लंघन के मामले में आईपी, आईपीए या आईयू का निरीक्षण कर सकता है।	बोर्ड ने वर्ष 2024–25 के दौरान 67 निरीक्षण/अन्वेषण शुरू किए गए और वर्ष के दौरान 116 निरीक्षण/अन्वेषण पूरे किए। शेष निरीक्षण जारी हैं और समाप्त होने की प्रक्रिया में हैं।
17.		**आईपी विनियमों के साथ पठित धारा 220:** डीसी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन में एक तर्कसंगत आदेश द्वारा कारण बताओ नोटिस (एससीएन) का निपटान करेगा।	इसका अनुपालन किया जा रहा है।
18.		**आईबीबीआई (लेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 223:** बोर्ड उचित खाते बनाएगा और ऐसे खातों की सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी।	बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपने वार्षिक खाते तैयार कर लिए हैं। सीएजी ने इसकी लेखा परीक्षा की और अपने पत्र दिनांक 11 नवंबर, 2025 के माध्यम से उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट अग्रेषित की।
19.		**आईबीबीआई (वार्षिक रिपोर्ट) नियम, 2018 के साथ पठित धारा 229:** बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप में और समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गतिविधियों का पूरा विवरण होगा और उसकी एक प्रति केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।	2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट 24 जनवरी, 2025 को केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई।
20.		**धारा 230:** बोर्ड एक आदेश द्वारा अपनी शक्तियों और कार्यों में से ऐसी शक्तियों और कार्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।	बोर्ड ने 24 जनवरी, 2017 को आईबीबीआई (शक्तियों का प्रत्यायोजन) आदेश, 2017 जारी किया। इसने उक्त आदेश में 25 अप्रैल, 2018; 2 जुलाई, 2020; 7 जून, 2022; 4 जनवरी, 2023; 20 अगस्त, 2024 और 30 जनवरी, 2025 को संशोधन किया गया ।
21.		**धारा 236:** बोर्ड शिकायत दर्ज कर सकता है।	बोर्ड ने 2024–25 के दौरान विशेष न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की है।
22.		**धारा 240:** बोर्ड को धारा में निर्दिष्ट मामलों पर विनियम बनाने की आवश्यकता है।	बोर्ड ने शासी बोर्ड के अनुमोदन से 2024–25 के दौरान 9 संशोधन विनियम बनाए। 31 मार्च, 2025 तक, बोर्ड ने निम्नलिखित प्रमुख विनियम तैयार किए हैं: (क) सेवा प्रदाताओं (आईपी, मॉडल उपनियम और आईपीए, आईपीए और आईयू के जीबी) को विनियमित करने के लिए चार विनियम;

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>आवश्यक वैधानिक अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(ख) प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए सात विनियम (सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया, परिसमापन प्रक्रिया, स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया, पीजी से सीडी के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया, पीजी से सीडी और पीपीआईआरपी के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया); और
(ग) सात विनियम (बोर्ड के आंतरिक कामकाज को विनियमित करने के लिए (सलाहकार समिति, शासी बैठकों की प्रक्रिया, आरए और सलाहकारों की नियुक्ति, निरीक्षण और अन्वेषण, कर्मचारी सेवा, शिकायत और परिवाद निवारण प्रक्रिया और विनियम जारी करने की व्यवस्था)।</td></tr>
<tr><td>23.</td><td></td><td>धारा 241: विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाएँगे।</td><td>बोर्ड ने 2024–25 में अधिसूचित सभी 9 विनियम संसद के समक्ष रखने के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को भेजे, और जिनमें यह विनियमों को 2024–25 के दौरान संसद के समक्ष रखा गया हैं।</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>केंद्रीय वस्तुएं और सेवाएं कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी)</td><td>धारा 37 (1): इसके अधीन कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अगले महीने की दसवीं तारीख से पहले वस्तुओं या सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।
हालाँकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार अधिसूचित की गईं:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तिथि</th></tr>
<tr><td>अप्रैल 2024</td><td>11 मई 2024</td></tr>
<tr><td>मई 2024</td><td>11 जून 2024</td></tr>
<tr><td>जून 2024</td><td>11 जुलाई 2024</td></tr>
<tr><td>जुलाई 2024 – मार्च 2025</td><td>अगले महीने की 11 तारीख</td></tr>
</table></td><td>बोर्ड ने अपेक्षित विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table>
<tr><th>माह के लिए</th><th>फाइल करने की तिथि</th></tr>
<tr><td>अप्रैल 2024</td><td>11 मई 2024</td></tr>
<tr><td>मई 2024</td><td>11 जून 2024</td></tr>
<tr><td>जून 2024</td><td>11 जुलाई 2024</td></tr>
<tr><td>जुलाई 2024</td><td>10 अगस्त 2024</td></tr>
<tr><td>अगस्त 2024</td><td>11 सितंबर 2024</td></tr>
<tr><td>सितंबर 2024</td><td>11 अक्टूबर 2024</td></tr>
<tr><td>अक्टूबर 2024</td><td>11 नवंबर 2024</td></tr>
<tr><td>नवंबर 2024</td><td>11 दिसंबर 2024</td></tr>
<tr><td>दिसंबर 2024</td><td>11 जनवरी 2025</td></tr>
<tr><td>जनवरी 2025</td><td>11 फ़रवरी 2025</td></tr>
<tr><td>फ़रवरी 2025</td><td>11 मार्च 2025</td></tr>
<tr><td>मार्च 2025</td><td>11 अप्रैल 2025</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>संविधि</th><th>आवश्यक वैधानिक अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>25.</td><td></td><td>धारा 38 (2): इसके अनुसार, कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को वस्तुओं या सेवाओं की आवक आपूर्ति का विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगले महीने के दसवें दिन के बाद लेकिन पंद्रहवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत करना होगा।

हालाँकि, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथियाँ निम्नानुसार अधिसूचित की गई थीं:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल 2024</td><td>20 मई 2024</td></tr><tr><td>मई 2024 – मार्च 2025</td><td>अगले माह का 20 वां दिन</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने आवश्यक विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>दाखिल करने की तिथि</th></tr><tr><td>अप्रैल 2024</td><td>20 मई 2024</td></tr><tr><td>मई 2024</td><td>20 जून 2024</td></tr><tr><td>जून 2024</td><td>20 जुलाई 2024</td></tr><tr><td>जुलाई 2024</td><td>20 अगस्त 2024</td></tr><tr><td>अगस्त 2024</td><td>20 सितंबर 2024</td></tr><tr><td>सितंबर 2024</td><td>19 अक्टूबर 2024</td></tr><tr><td>अक्टूबर 2024</td><td>20 नवंबर 2024</td></tr><tr><td>नवंबर 2024</td><td>20 दिसंबर 2024</td></tr><tr><td>दिसंबर 2024</td><td>21 जनवरी 2025</td></tr><tr><td>जनवरी 2025</td><td>20 फ़रवरी 2025</td></tr><tr><td>फ़रवरी 2025</td><td>20 मार्च 2025</td></tr><tr><td>मार्च 2025</td><td>17 अप्रैल 2025</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>26.</td><td></td><td>धारा 44 (1): इसके अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद इकतीस दिसंबर को या उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।

धारा 44 (2): इसके अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वार्षिक रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक है।</td><td>बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए दिनांक 31.12.2024 को वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत की।</td></tr>
<tr><td>27.</td><td></td><td>धारा 51 (1): इसके अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को किए गए निर्दिष्ट भुगतान से स्रोत पर कर कटौती करने की आवश्यकता होती है।

धारा 39 (3): इसके अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, को स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उस माह के लिए, जिसमें कटौती की गई है, उस माह की समाप्ति के दस दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है।</td><td>बोर्ड ने आवश्यक विवरण निम्नानुसार दाखिल किया:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>दाखिल करने की तिथि</th></tr><tr><td>अप्रैल 2024</td><td>10 मई 2024</td></tr><tr><td>मई 2024</td><td>10 जून 2024</td></tr><tr><td>जून 2024</td><td>10 जुलाई 2024</td></tr><tr><td>जुलाई 2024</td><td>09 अगस्त 2024</td></tr><tr><td>अगस्त 2024</td><td>06 सितंबर 2024</td></tr><tr><td>सितंबर 2024</td><td>09 अक्टूबर 2024</td></tr><tr><td>अक्टूबर 2024</td><td>07 नवंबर 2024</td></tr><tr><td>नवंबर 2024</td><td>09 दिसंबर 2024</td></tr><tr><td>दिसंबर 2024</td><td>09 जनवरी 2025</td></tr><tr><td>जनवरी 2025</td><td>10 फ़रवरी 2025</td></tr><tr><td>फ़रवरी 2025</td><td>10 मार्च 2025</td></tr><tr><td>मार्च 2025</td><td>10 अप्रैल 2025</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कानून</th><th>आवश्यक वैधानिक अनुपालन</th><th>अनुपालन की स्थिति</th></tr>
<tr><td>28.</td><td>आयकर विभाग, 1961</td><td>धारा 139: बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आयकर विवरणी दाखिल करेगा।</td><td>बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए अपनी आयकर रिटर्न दिनांक 31 अक्तूबर, 2025 को फाईल किया है।</td></tr>
<tr><td>29.</td><td></td><td>धारा 200: बोर्ड वेतन, अनुबंधों और व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती और जमा करेगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>अंतिम तारीख</th></tr><tr><td>अप्रैल 2024 – फरवरी 2025</td><td>माह के अंत से सात दिनों के भीतर</td></tr><tr><td>मार्च 2025</td><td>30 अप्रैल, 2025</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने आवश्यक टीडीएस की कटौती की और उसे हर महीने जमा किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:
<table><tr><th>माह के लिए</th><th>दाखिल करने की तिथि</th></tr><tr><td>अप्रैल 2024</td><td>07 मई 2024</td></tr><tr><td>मई 2024</td><td>07 जून 2024</td></tr><tr><td>जून 2024</td><td>06 जुलाई 2024</td></tr><tr><td>जुलाई 2024</td><td>07 अगस्त 2024</td></tr><tr><td>अगस्त 2024</td><td>06 सितंबर 2024</td></tr><tr><td>सितंबर 2024</td><td>03 अक्टूबर 2024</td></tr><tr><td>अक्टूबर 2024</td><td>07 नवंबर 2024</td></tr><tr><td>नवंबर 2024</td><td>06 दिसंबर 2024</td></tr><tr><td>दिसंबर 2024</td><td>07 जनवरी 2025</td></tr><tr><td>जनवरी 2025</td><td>07 फ़रवरी 2025</td></tr><tr><td>फ़रवरी 2025</td><td>07 मार्च 2025</td></tr><tr><td>मार्च 2025</td><td>30 अप्रैल 2025</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>30.</td><td></td><td>आयकर नियम, 1962 का नियम 31 क: बोर्ड कर कटौती का त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करेगा:
<table><tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>अंतिम तिथि</th></tr><tr><td>30 जून, 2024</td><td>31 जुलाई, 2024</td></tr><tr><td>30 सितंबर, 2024</td><td>31 अक्टूबर, 2024</td></tr><tr><td>31 दिसंबर, 2024</td><td>31 जनवरी, 2025</td></tr><tr><td>31 मार्च, 2025</td><td>31 मई, 2025</td></tr></table></td><td>बोर्ड ने स्रोत पर कर कटौती का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया:
<table><tr><th>समाप्त तिमाही के लिए</th><th>दाखिल करने की तिथि</th></tr><tr><td>जून 2024</td><td>30 जुलाई 2024</td></tr><tr><td>सितंबर 2024</td><td>22 अक्टूबर 2024</td></tr><tr><td>दिसंबर 2024</td><td>30 जनवरी 2025</td></tr><tr><td>मार्च 2025</td><td>31 मई 2025</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>31.</td><td>सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005</td><td>धारा 4 (1) (ख): बोर्ड अपनी वेबसाइट पर निर्दिष्ट मामलों पर स्वतः संज्ञान लेकर खुलासा करेगा।</td><td>बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) के अनुसार खुलासा किया है।</td></tr>
<tr><td>32.</td><td></td><td>धारा 7 (1): सीपीआईओ आवेदकों को आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान करेगा।</td><td>सीपीआईओ ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान 427 आरटीआई आवेदनों का निपटारा किया। इसने सभी मामलों में आरटीआई अधिनियम, 2005 द्वारा निर्धारित समय–सीमा के भीतर सूचना प्रदान की।</td></tr>
<tr><td>33.</td><td></td><td>धारा 19 (6): एफएए अपीलों का निपटारा 45 दिनों के भीतर करेगा।</td><td>एफएए ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय के भीतर 88 अपीलों का निपटारा किया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	कानून	आवश्यक वैधानिक अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
34.	कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध और उन्मूलन) अधिनियम, 2013	बोर्ड आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।	आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।
35.	सामान्य वित्तीय नियम, 2017	**नियम 229 (xi):** बोर्ड प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता–ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा।	बोर्ड को वित्त वर्ष 2024–25 में एमसीए से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कोई एमओयू हस्ताक्षरित नहीं किया गया।
36.		**नियम 230 (8):** इसके अधीन बोर्ड को खातों को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद सहायता अनुदान के विरुद्ध सभी ब्याज या अन्य आय को भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा करना होगा।	बोर्ड को वित्त वर्ष 2024–25 में एमसीए से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, पिछले वित्त वर्ष 2023–24 में मिले सरकारी अनुदान पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान 11,934/– रुपये का ब्याज मिला और इसे 3 सितंबर 2025 को एमसीए/सीएफआई को विप्रेक्षित कर दिया गया था।
37.		**नियम 234:** एक अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान के रूप में, बोर्ड को अनुदानों का एक रजिस्टर बनाए रखना होगा और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **नियम 238:** इसके अंतर्गत बोर्ड को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर प्राप्त अनुदानों के वास्तविक उपयोग के संबंध में एक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	बोर्ड को वित्त वर्ष 2024–25 में एमसीए से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
38.	रोजगार संबंधी नियम	भर्ती में आरक्षण	वर्ष के दौरान कोई सीधी भर्ती नहीं हुई।
39.		**कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि/पेंशन:** बोर्ड कर्मचारियों के भविष्य निधि और पेंशन अंशदान में से कटौती करेगा और उसे जमा करेगा।	बोर्ड ने अंशदान में कटौती की: (क) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि के लिए और उसे नियोक्ता के अंशदान के साथ, उनके संबंधित नियोक्ताओं को भेज दिया। (ख) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए और उसे नियमित कर्मचारियों के लिए उनके संबंधित एनपीएस खातों में जमा कर दिया। (ग) अंशदायी भविष्य निधि और उसे नियोक्ता के अंशदान के साथ, अध्यक्ष और कार्यकारी प्रबंधक (डब्ल्यूटीएम) के संबंध में आवर्ती और सावधि जमा में जमा किया गया।

क्र. सं.	कानून	आवश्यक वैधानिक अनुपालन	अनुपालन की स्थिति
40.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948	एक प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि अनुबंध के आधार पर नियोजित जनशक्ति के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया जाए।	बोर्ड ने जनशक्ति सेवा प्रदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया है।
41.	अनुबंध श्रम (विनियम और उन्मूलन अधिनियम, 1970	**धारा 7:** प्रमुख नियोक्ता के रूप में, बोर्ड को निबंधक के माध्यम से मानव संसाधन नियुक्त करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।	बोर्ड ने 3 सितंबर, 2020 को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया। हालाँकि, यह अधिनियम तब से समाप्त कर दिया गया है।

ट संगठनात्मक मामले

उत्तरदायित्व केन्द्र

शासी बोर्ड

11.1 सारणी 29, में 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार जीबी के सदस्यों का विवरण प्रस्तुत है।

सारणी 29: 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार आईबीबीआई का शासी बोर्ड

नाम	के रूप में नियुक्त किया गया	नियुक्ति की तारीख
श्री रवि मितल	अध्यक्ष	09.02.22
श्री जयंती प्रसाद	डब्ल्यूटीएम	05.07.22
श्री संदीप गर्ग	डब्ल्यूटीएम	27.10.23
डॉ. भूषण कुमार सिन्हा	डब्ल्यूटीएम	11.02.25
डॉ. राजीव मणि	पदेन सदस्य	26.02.19
श्री वैभव चतुर्वेदी	पदेन सदस्य	03.12.24
सुश्री अनीता शाह अकेला	पदेन सदस्य	05.07.22
सुश्री रीतू जैन	पदेन सदस्य	06.10.22
श्री एम. पी. राम मोहन	अंशकालिक सदस्य	19.02.24
श्री एल. वी. प्रभाकर	अंशकालिक सदस्य	27.01.25

श्री दीनबंधु महापात्रा का आईबीबीआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होना

11.2 श्री दीनबंधु महापात्र ने 12 जून, 2024 को आईबीबीआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया। जीबी ने आईबीबीआई और उभरते दिवाला शासन में उनके अमूल्य योगदान के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

श्री सुधाकर शुक्ला का आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होना

11.3 श्री सुधाकर शुक्ला ने आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 23 सितंबर, 2024 को पूरा किया। जीबी ने आईबीबीआई और नवजात दिवाला व्यवस्था में श्री सुधाकर शुक्ला द्वारा किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए गहरी श्रद्धा व्यक्त की।

श्री उन्नीकृष्णन ए. का आईबीबीआई के पदेन सदस्य के रूप में कार्यकाल पूरा होना

11.4 श्री उन्नीकृष्णन ए. ने आईबीबीआई के पदेन सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल 2 दिसंबर, 2024 को पूरा किया। जीबी ने आईबीबीआई और नवजात दिवालाव्यवस्था में श्री उन्नीकृष्णन ए. द्वारा किए गए अनुकरणीय योगदान के लिए गहरी श्रद्धा व्यक्त की।

श्री वैभव चतुर्वेदी की आईबीबीआई के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्ति

11.5 केंद्र सरकार ने 3 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री वैभव चतुर्वेदी को उक्त बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आईबीबीआई में पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

श्री एल. वी. प्रभाकर की आईबीबीआई के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति

11.6 केंद्र सरकार ने 31 जनवरी, 2025 की अधिसूचना के अधीन केनरा बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एल. वी. प्रभाकर को 27 जनवरी, 2025 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आईबीबीआई में अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया।

डॉ. भूषण कुमार सिन्हा की आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति

11.7 केंद्र सरकार ने 12 फ़रवरी, 2025 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से डॉ. भूषण कुमार सिन्हा को 11 फ़रवरी, 2025 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आईबीबीआई में पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षा समिति

11.8 लेखा परीक्षा समिति वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और लेखा परीक्षा कार्यों के क्षेत्रों में जीबी की सहायता करती है। 31 मार्च, 2025 तक लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित शामिल थे:

(क) डॉ. राजीव मणि, अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति

(ख) सुश्री अनीता शाह अकेला, सदस्य, लेखा परीक्षा समिति

(ग) श्री जयंती प्रसाद, सदस्य, लेखा परीक्षा समिति

अनुशासनात्मक समिति

11.9 संहिता की धारा 220 (1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस पर विचार करने और उनका निपटान करने के लिए से युक्त अनुशासनात्मक समिति की परिकल्पना की गई है। समीक्षाधीन अवधि में डीसी का गठन सारणी 30 में दर्शाया गया है।

सारणी 30: बोर्ड द्वारा अनुशासन समिति का गठन

गठन की तिथि	संरचना
08.04.24	डीसी 1: श्री रवि मितल, अध्यक्ष डीसी 2: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम डीसी 3: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 4: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 5: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 6: श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम
21.08.24	डीसी 1: श्री रवि मितल, अध्यक्ष डीसी 2: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम डीसी 3: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 4: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 5: श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 6: श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 7:श्री सुधाकर शुक्ला, डब्ल्यूटीएम और श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम
26.09.24	डीसी 1: श्री रवि मितल, अध्यक्ष डीसी 2: श्री रवि मितल, अध्यक्ष और श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 3: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 4: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 5: श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम
05.03.25	डीसी 1: श्री रवि मितल, अध्यक्ष डीसी 2: श्री रवि मितल, अध्यक्ष और श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 3: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम डीसी 4: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 6: श्री संदीप गर्ग, डब्ल्यूटीएम डीसी 7: डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, डब्ल्यूटीएम डीसी 8: श्री जयंती प्रसाद, डब्ल्यूटीएम और डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, डब्ल्यूटीएम

आंतरिक शिकायत समिति

11.10 यौन के प्रावधानों के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, प्रतिषेध और उन्मूलन) अधिनियम, 2013 के अधीन, बोर्ड ने महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की शिकायतों, यदि कोई हो, की जाँच के लिए 1 सितंबर, 2017 को एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया। 31 मार्च, 2025 तक, आईसीसी में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे:

(क) डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्व डब्ल्यूटीएम, पीठासीन अधिकारी एवं विशेषज्ञ

(ख) सुश्री मेधा शेखर, प्रबंधक, सदस्य

(ग) सुश्री मनप्रीत कौर, प्रबंधक, सदस्य

(घ) श्री मुकेश कुमार, सहायक प्रबंधक, सदस्य सचिव

मानव संसाधन

11.11 आईबीबीआई का प्रयास है कि वह एक नवोदित दिवाला व्यवस्था और संबंधित संस्थानों को पोषित करने के लिए सही प्रतिभा और दृष्टिकोण वाले व्यावसायिकों को आकर्षित करे। यह अपने कर्मचारियों में आउट–ऑफ–बॉक्स सोचने की क्षमता की तलाश करता है। यह अपने कर्मचारियों को उनके कौशल को निखारने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित करता है और उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।

अनुसंधान एसोसिएट्स

11.12 31 मार्च, 2025 तक, अर्थशास्त्र/सार्वजनिक नीति, विधि और व्यवसाय प्रबंधन जैसे विषयों से 22 अनुसंधान एसोसिएट्स अनुबंध के आधार पर कार्यरत थे।

कर्मचारी

11.13 सारणी 31 में 31 मार्च, 2025 तक अनुमोदित संख्या की तुलना में कर्मचारियों की वास्तविक संख्या प्रस्तुत है।

सारणी 31: आईबीबीआई के कर्मचारी

पद	31 मार्च, 2024 को वास्तविक संख्याबल	31 मार्च, 2025 के अनुसार		
		संस्वीकृत संख्याबल	वास्तविक संख्याबल	भर्ती की विधि
कार्यकारी निदेशक	4	4	4	प्रतिनियुक्ति
मुख्य महाप्रबंधक	1	4	1	प्रतिनियुक्ति
महाप्रबंधक	4	8	4	प्रतिनियुक्ति
उप महाप्रबंधक	6	4	2	प्रतिनियुक्ति
सहकारी महाप्रबंधक	2	8	2	प्रतिनियुक्ति
प्रबंधक	18	22	16*	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति
सहायक महाप्रबंधक	3	18	4	प्रतिनियुक्ति
जीए/पीए–III जीए/पीए –II जीए/पीए – II	0	10	0	लागू नहीं
कुल	**38**	**78**	**33**	–

*आईबीबीआई का एक स्थायी कर्मचारी 21 मार्च, 2025 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफओ में प्रतिनियुक्ति पर है।

आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2023

11.14 आईबीबीआई ने 14 नवंबर, 2023 को आईबीबीआई इंटर्नशिप दिशानिर्देश, 2023 जारी किए ताकि उन छात्रों को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जा सके जो दिवाला, परिसमापन, शोधन अक्षमता या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में व्यावसायिक करियर बनाना चाहते हैं। इंटर्नशिप दिशानिर्देश पात्रता की शर्तें, इंटर्नशिप की अवधि, इंटर्न की संख्या, छात्रवृत्ति, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, लॉजिस्टिक्स और सहायता, एक इंटर्न के कर्तव्य और आईबीबीआई में इंटर्नशिप से संबंधित अन्य दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं।

इंटर्न्स

11.15 कोई छात्र जो विधि में पाँच वर्षीय या तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या विधि में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रहा है; या अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन या विधि में एम.फिल./पीएचडी पाठ्यक्रम कर रहा छात्र, आईबीबीआई में प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए पात्र है। 2024–25 के दौरान, 56 छात्रों ने आईबीबीआई में इंटर्नशिप की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और सम्मेलन

11.16 सारणी 32 उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सम्मेलनों का विवरण प्रस्तुत करती है, जिनमें आईबीबीआई अधिकारियों ने दिवाला और शोधन अक्षमता के उभरते क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाग लिया।

सारणी 32: 2024–25 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम जिनमें आईबीबीआई के अधिकारियों ने भाग लिया

क्रम	दिनांक	कार्यक्रम	द्वारा आयोजित	अधिकारियों की संख्या
1.	22.05.2024–24.05.2024	आईएनएसओएल इंटरनेशनल–विश्व बैंक समूह विधायी और नियामक संगोष्ठी और आईएनएसओएल सम्मेलन, सैन डिएगो, कैलिफ़ोर्निया, अमेरिका	आईएनएसओएल इंटरनेशनल	2
2.	24.06.2024–28.06.2024	गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	एमडीआई गुरुग्राम	4
3.	22.07.2024 – 24.07.2024	सिंगापुर में कॉर्पोरेट और घरेलू शोधन अक्षमता पर कार्यशाला	आईएमएफ सिंगापुर	4
4.	27.08.2024	आईएनएसओएल इंटरनेशनल सिंगापुर सेमिनार	आईएनएसओएल इंटरनेशनल	3
5.	16.09.2024 – 19.09.2024	आईएआईआर वार्षिक सम्मेलन, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका	आईएआईआर	1
6.	26.09.2024 – 27.09.2024	एशियाई दिवाला सुधार मंच (एफएआईआर)	सिंगापुर विधि मंत्रालय और आईएनएसओएल इंटरनेशनल	2
7.	09.10.2024 – 10.10.2024	सिंगापुर दिवाला सम्मेलन 2024	आईपीएएस और लॉ सोसाइटी	2
8.	11.12.2024 – 13.12.2024	गोवा में अंतर–क्षेत्रीय अनुभव के माध्यम से सहयोगात्मक नियामक उन्नति	भारतीय नियामक मंच (एफओआईआर)	3
9.	18.12.2024 – 20.12.2024	रोधक्षम संगठनों का निर्माण: गोवा में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच फलने–फूलने की कार्यनीतियां	भारतीय नियामक मंच (एफओआईआर)	3
10.	16.12.2024 – 20.12.2024	गैर–वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	एमडीआई गुरुग्राम	3
11.	07.03.2025	कॉर्पोरेट प्रशासन में लेखापरीक्षा की भूमिका	राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी शिमला	26
12.	18.03.2025 – 19.03.2025	आईएनएसओएल हांगकांग विधायी एवं नियामक संगोष्ठी और आईएनएसओएल सम्मेलन हांगकांग	आईएनएसओएल इंटरनेशनल	3
13.	02.03.2025–13.07.2025	व्यवसाय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अनुप्रयोग के मूल सिद्धांत	आईएसबी हैदराबाद	25

11.17 आईबीबीआई ने वर्ष के दौरान अपने सभी अधिकारियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए, जिसका विवरण सारणी 33 में दिया गया है।

सारणी 33: आईबीबीआई द्वारा अपने अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	दिनांक	कार्यक्रम/विषय की प्रकृति	संकाय
1	28 अगस्त 2024	'कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटी' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री जयेश संघराजका, दिवाला व्यावसायिक श्री सुशांता कुमार दास, उप महाप्रबंधक, आईबीबीआई
2	26 सितंबर 2024	'डेटा संरक्षण' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	श्री राहुल मथन, पार्टनर, ट्राइलीगल
3	23 अक्टूबर, 2024	बाजार परिदृश्य और निवेश कार्यनीति याँ	श्री नवनीत बक्शी, आईसीआईसीआई बैंक अधिकारी
5	4 दिसंबर, 2024	वाद वित्तपोषण पर सत्र	सुश्री तान्या प्रसाद, मुख्य निवेश अधिकारी, लीगल पे
6	11 मार्च, 2025	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का दिवाला	सुश्री एंटोनिया पी. मेनेजेस, वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ विश्व बैंक और स्टीवन कार्गमैन, संस्थापक और अध्यक्ष कार्गमैन, एसोसिएट्स

शिकायत निवारण अधिकारी

11.18 आईबीबीआई ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 23 के अनुसार, श्री बी. शंकरनारायणन, महाप्रबंधक को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

वर्ष के दौरान अन्य कार्यकलाप

वार्षिक कार्यनीति बैठक

11.19 आईबीबीआई वार्षिक कार्यनीति बैठक का आयोजन कार्यनीतिक कार्य योजना विकसित करने के लिए कर रहा है जो अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करती है, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ऊर्जा और संसाधन केंद्रित करती है, और आगामी वर्ष के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु विशिष्ट कार्यों और उप–कार्यों की रूपरेखा तैयार करती है। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कार्यनीति बैठक 27 मार्च, 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में शीर्ष प्रबंधन, सभी अधिकारियों, अनुसंधान सहयोगियों और सलाहकारों ने भाग लिया और आगामी वर्ष के लिए कार्यनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करने और कार्य योजनाओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

11.20 आईबीबीआई ने 21 जून, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। श्री अजय कुमार जैन, आईपी और योग प्रशिक्षक द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण हेतु योग और ध्यान पर एक आभासी कार्यशाला आयोजित की गई। योग सत्र में योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास शामिल था।

हिंदी दिवस

11.21 आईबीबीआई ने 16 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया। 16 सितंबर, 2024 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को आधिकारिक टिप्पणियों और पत्रों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारियों ने पखवाड़े के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न अन्य गतिविधियों जैसे निबंध प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और ज्ञान प्रतियोगिता आदि में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

स्वच्छता पखवाड़ा

11.22 आईबीबीआई ने 14 सितंबर, 2024 से 2 अक्टूबर, 2024 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। इस दौरान, कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाकर और उनकी प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में एक प्रमाण पत्र प्राप्त करके स्वच्छता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के महत्व, कार्यालय परिसर में एकल–उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों के निषेध, सूखे और गीले कचरे को अलग करने की प्रथा और अनावश्यक दस्तावेजों की छंटाई के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान, आईबीबीआई परिसर की गहन सफाई और कीट नियंत्रण उपाय किए गए। इसके अलावा, आईबीबीआई के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपने आवासीय क्षेत्र के पास एक पेड़ लगाने का अनुरोध किया गया।

वार्षिक दिवस

11.23 आईबीबीआई ने 1 अक्टूबर, 2024 को अपना आठवाँ वार्षिक दिवस मनाया। मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री रामलिंगम सुधाकर, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण (एनसीएलटी) ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। भारत के जी20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ श्री अमिताभ कांत ने वार्षिक दिवस व्याख्यान दिया। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने इस अवसर पर विशेष भाषण दिया और आईबीबीआई के अध्यक्ष श्री रवि मितल ने स्वागत भाषण दिया। आईबीबीआई के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) श्री संदीप गर्ग ने कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सम्मानित गणमान्य व्यक्ति और दिवाला व्यवस्था के हितधारक, जैसे सरकारी और नियामक निकायों के अधिकारी, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियाँ (आईपीए)

और रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन (आरवीओ), दिवाला व्यावसायिक (आईपी), रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक (आरवी), अन्य व्यावसायिक, देनदार, लेनदार, व्यापारिक नेता और शिक्षाविद, एक साथ आए। इस कार्यक्रम का ऑनलाइन सीधा प्रसारण भी किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

11.24 आईबीबीआई ने 6 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 वर्चुअल रूप से मनाया और सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों और लचीलेपन पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एमसीए की अतिरिक्त सचिव सुश्री अनुराधा ठाकुर उपस्थित रहीं। उनके प्रेरणादायक संबोधन ने सामाजिक और व्यावसायिक बाधाओं को पार करने में महिलाओं की दृढ़ता और शक्ति पर ज़ोर दिया और सभी को लैंगिक समानता के लिए प्रोत्साहित किया। इस समारोह में आईबीबीआई की महिला अधिकारियों और शोध सहयोगियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिन्होंने समावेशिता और सशक्तिकरण पर सार्थक चर्चा की।

सूचना का अधिकार और पारदर्शिता

11.25 पारदर्शिता के हित में, आईबीबीआई अपनी वेबसाइट पर विनियमों, परिपत्रों और न्यायनिर्णयों तथा सेवा प्रदाताओं और संहिता के अंतर्गत प्रक्रियाओं के विवरण से संबंधित विभिन्न खुलासे करता है। इसने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित खुलासों को अद्यतन किया है, साथ ही किसी भी नागरिक को उसके पास भेजे गए आवेदन पर सूचना प्रदान की है।

11.26 आईबीबीआई ने श्री राजेश कुमार, महाप्रबंधक को आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (एच) के अंतर्गत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नियुक्त किया है ताकि अधिनियम के अंतर्गत किए गए आवेदन पर किसी भी नागरिक को सूचना प्रदान की जा सके। आईबीबीआई द्वारा नियुक्त महाप्रबंधक श्री सी. रामचंद्र राव लिंक–सीपीआईओ हैं।

11.27 आईबीबीआई ने आरटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत सीपीआईओ के आदेशों के विरुद्ध अपीलों के निपटारे के लिए श्री कुलवंत सिंह, कार्यकारी निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नियुक्त किया है। श्री सतीश सेठी लिंक–एफएए हैं।

11.28 सारणी 34 में निम्नलिखित के अंतर्गत आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निपटान का विवरण दिया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2024–25 के दौरान।

सारणी 34: आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों की प्राप्ति और निस्तारण

क्रम	विवरण	संख्या	
		2023–24	2024–25
1	पिछले वर्ष से आगे लाए गए आवेदन	13	39
2	आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु सीपीआईओ द्वारा प्राप्त आवेदन	262	447
3	आवेदन जिनके लिए सीपीआईओ द्वारा सूचना प्रदान की गई	236	427
4	सीपीआईओ के पास लंबित आवेदन	39	20
5	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अपीलें	4	1
6	सीपीआईओ के आदेश के विरुद्ध एफएए के समक्ष दायर अपीलें	34	122
7	एफएए द्वारा निस्तारित अपीलें	37	88
8	एफएए के पास लंबित अपीलें	1	34
9	ऐसे आवेदन/अपीलें जिन्हें निर्धारित समय सीमा में निस्तारित नहीं किया गया	0	0

*****

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
Insolvency and Bankruptcy Board of India

सातवीं मंज़िल, मयूर भवन,
शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस,
नई दिल्ली - 110001
www.ibbi.gov.in